स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)

अध्ययन सामग्री

हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान

नीलोखेड़ी–132117

Phone/Fax:-(01745)-246039 Phone :-(01745)-245649. E- mail:hirdnlk@yahoo.co.in
Website : www.hirdnilokheri.com

विषय-वस्तु

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई)	1
2	स्वयं सहायता समूह की संकल्पना, सिद्धांत, निर्माण व संचालन	5
3	स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में गतिविधि कलस्टर	12
4	स्वरोजगारियों का वित्तपोषण	14
5	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में भागीदार व उनकी भूमिका	21
6	समन्वय व अनुप्रवर्तन (मानिटरिंग)	30
7	गरीबी हटाने के सात कदम	34
8	एस.जी.एस.वाई. पर राष्ट्रीय अध्ययन: एक प्रक्रियात्मक अध्ययन	42
9	एसजीएसवाई के अन्तर्गत प्रोत्साहित गैर-पारंपरिक लघु उद्यम	55
10	उद्योग चुनने के लिए क्या करें?	63
11	बैंक संयोजन कार्यक्रम-गरीबों के लिए बैंकिग सुविधा	69

अध्याय-1

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई)

योजना क्या है?

एस.जी.एस.वाई. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित सबसे बड़ा स्वरोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 01-04-1999 से लागू किया गया। गरीबों हेतू स्वरोजगार के अवसर जुटाने के लिए विकास रणनीति में यह एक उदाहरणीय व आधारभूत परिवर्तन (Paradigm Shift) माना गया है।

- यह कार्यक्रम पूर्व में लागू किये जा रहे गरीबी उन्मूलन हेतू स्वरोजगार कार्यक्रम जैसे कि आई. आर. डी. पी. (1979), ट्रायसेम (1979), डवकरा (1982), सिट्रा (1993), गंगा कल्याण योजना (1997) आदि को पुर्नगठित करके उनकी मुख्य विशेषताओं को शामिल करके बनाया गया है।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में गठित करने के साथ-साथ उनके प्रशिक्षण, ऋण व अनुदान, प्रौद्योगिकी, बुनियादी सुविधाएं व विपणन आदि पक्षों का भी पूरा ध्यान रखा गया है।
- यह कार्यक्रम लाभार्थियों (स्वरोजगारियों) को स्वयं सहायता समूहों में गठित करने व उनके सामूहिक वित्तपोषण पर बल देता है ताकि स्वरोजगारी सामूहिक या व्यक्तिगत स्तर पर छोटे-2 उद्यम शुरू कर सकें।
- यह कार्यक्रम स्वरोजगारियों को किफायती बुनियादी संरचना, विपणन, कौशल विकास व प्रौद्योगिकी संबंधी सुविधाएं प्रदान करके उनकी आय में समुचित व सतत् वृद्धि हेतू मुख्य गतिविधि चयन, क्रियाक्लाप-क्लस्टर, परियोजना आयोजन की अवधारणाओं पर अधिक बल देता है।

योजना की आवश्यकता क्या है?

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाये गये ताकि गरीब परिवार स्वरोजगार हेतू सहायता प्राप्त करके अतिरिक्त आमदनी पैदा कर सकें तथा उनके जीवन स्तर में सुधार हो। परन्तु समुचित समन्वय के अभाव में यह कार्यक्रम एक दूसरे के अनुपूरक न होकर, अलग-2 लक्ष्य केन्द्रित बनते गये व गरीबों तक इनका वांछित लाभ न पहुंच सका। दूसरे, इन कार्यक्रमों में सामाजिक संगठन, उचित समन्वय व सहभागिता की कमी रही।

इसी पृष्ठभूमि में तथा बदलते सामाजिक-आर्थिक परिवेश में संसाधनों की खपत एवं लक्ष्य-उपलब्धि के बीच के अंतर को ध्यान में रख कर, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण निर्धनों के जीवन स्तर को उन्हीं की सहभागिता से बेहतर बनाने के लिए ताकि उन्हें टिकाऊ आधार पर लम्बे समय तक सतत् आमदनी प्राप्त हो सके, एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करके उसे 01-04-1999 से देशभर में लागू किया तथा इसे 'स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना' अथवा एस.जी.एस.वाई. का नाम दिया गया।

योजना के उद्देश्य क्या हैं?

- ग्रामीण निर्धनों की क्षमताओं के आधार पर बड़ी संख्या में छोटे-छोटे उद्यम स्थापित करना।
- बैंकऋण-सह-सरकारी अनुदान की सहायता से आय-सृजक परिसम्पतियों का निर्माण कर लम्बे समय तक पर्याप्त एवं स्थायी आय सृजन व सुनिश्चित करके एक निश्चित समयावधि में सहायता-प्राप्त परिवारों को गरीबी रेखा से उपर लाना।

लक्ष्य समूह

ग्रामीण क्षेत्रें में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवार जिनमें शामिल हैं:

50% अनुसूचित जाति/ जन-जाति परिवार

40% महिलाएं

3% विकलांग।

गरीबी रेखा

''गरीबी रेखा'' ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाह - प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता खर्च के रूप में परिभाषित की जाती है। इस खर्च सीमा से कम खर्चे वाले परिवारों को 'गरीबी की रेखा से नीचे' (Below Poverty Line or BPL) माना जाता है।

योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का लक्ष्य है ग्रामीण निर्धनों की क्षमता का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छोटे-छोटे उद्यम लगाना। इस विश्वास के कारण है कि भारत के ग्रामीण निर्धनों में क्षमता है और यदि उन्हें उचित सहायता दी जाए तो वे मूल्यवान वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादक बन सकते हैं।

यह योजना पूर्व में लागू किए गए कार्यक्रमों से पूर्णतया भिन्न है। लाभार्थी को **'स्वरोजगारी'** कहा जाता है। स्वरोजगार व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दिया जाता है स्वरोजगारियों के क्षमता-निर्माण हेतू सामाजिक लामबंदी व संगठन की प्रक्रिया से स्वयं सहायता समूहों में गठन के साथ-साथ प्रशिक्षण,

प्रौद्योगिकी, बुनियादी सुविधाएं, विपणन सुविधाएं आदि प्रदान करने पर बल दिया जाता है। कार्यक्रम को लागू करने में व साख उपलब्ध कराने में डी.आर.डी.ए., सम्बद्ध विभागों, बैंकों, तकनीकी संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओं, आदि की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसकी रणनीति व कार्यान्वयन में स्वरोजगारियों को सभी प्रकार की किफायती सुविधाएं प्रदान करने, मुख्य गतिविधि चयन, गतिविधि क्लस्टर बनाने व परियोजना निर्माण पद्धतियों व अवधारणाओं पर बल दिया गया है।

पूर्व कार्यक्रमों से भिन्न यह कार्यक्रम ग्रामीण निर्धनों के लिए स्वरोजगार के सभी पहलूओं को शामिल करता है जैसे कि :

- निर्धनों को स्वयं सहायता समूहों में गठन तथा उनका क्षमता निर्माण
- प्रशिक्षण
- मुख्य क्रिया-क्लापों का चयन
- क्रिया-क्लाप समूहों (activity clusters) का आयोजन
- बुनियादी सुविधााएं
- प्रोद्यौगिकी
- विपणन
- ऋण

प्रशिक्षण

❖ प्रत्येक स्वरोजगारी पर 5000 रू. तक खर्च का प्रावधान है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- आधारिक उन्मुखीकरण/अभिज्ञान (Basic Orientation)
- समूह गठन प्रक्रिया हेतू क्षमता-निर्माण (Capacity Building)
- कौशल विकास एवं संवर्धन (Skill-Upgradation)
- प्रोद्यौगिकी सहायता (Technological Support)
- विपणन (बाजार-व्यवस्था) सहायता।
- विपणन-सर्वेक्षण (Market Survey), मूल्य संवर्धन (Value Addition), एवं उत्पादन विविधिकरण (Product Diversification) हेतू प्रावधान।
- बैंकों, तकनीकी संस्थाओं तथा लाईन विभागों की महत्त्वपूर्ण भूमिका।
- गैर-सरकारी संगठनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका।
- पंचायती राज संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका।

अनुदान

- समान दर पर परियोजना लागत का 30%, जो अधिकतम 7500 रू. होगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांगों के लिए परियोजना लागत का 50% जो अधिकतम 10000 रू. होगा।
- समूह हेतू परियोजना लागत का 50% या 1.25 लाख रू. या प्रतिव्यक्ति 10000 रू., जो भी कम हो।
- सिंचाई परियोजना के लिए कोई मौद्रिक सीमा नहीं।
- दुरूपयोग रोकने के लिए अनुदान का ऋण के समक्ष समायोजन अपनाई गई समूह/व्यक्तिगत गतिविधियों के सफल होने के पश्चात (Back-Ended Subsidy)
- विशेष परियोजनाओं के लिए 15% राशि का केन्द्र स्तर पर आवंटन।
- केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 75 : 25 अनुपात में वित्तपोषित।

अध्याय-2

स्वयं सहायता समूह की संकल्पना, सिद्धांत, निर्माण व संचालन

स्वयं सहायता समूह क्या है?

स्वयं सहायता समूह 5-20 व्यक्तियों का एक अनौपचारिक संगठन है जो किसी विशेष सांझा उद्देश्य की प्राप्ति हेतू स्वेच्छा से संगठित हुए हैं जिनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में एकरूपता है तथा जो सांस्कृतिक भावनाओं से आपस में जुडे हैं। आमतौर पर ये सभी एक मुहल्ले या गाँव के होते हैं। वे सभी मिलकर नियमित, निर्धारित न्यूनतम बचत करने का निर्णय लेते हैं तथा उसे अपनी दैनिक, तत्कालिक, उपभोग एवं उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। वे स्थानीय स्तर पर मिलजुल कर आपसी सहयोग से ऋण की व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, आय वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक मुद्दों का स्वयं सहायता समूह के माध्यम से निदान कर करते है। इसके अतिरिक्त, उनके उपलब्ध कौशल में वृद्धि करना, तथा उनकी प्रबन्धन क्षमताओं का निर्माण कर उन्हें प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से सक्षम बनाना भी इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। , ताकि वे स्वालम्बी व टिकाउ (सतत्) विकास, प्रक्रिया का मजबूत हिस्सा बन सकें। अर्थात, सदस्यों को सशक्त कर स्वाबलम्बी बनाना व उनके लिए आय-सर्जन व स्वरोजगार के अवसरों का स्थायित्व प्रदान करना स्वयं सहायता समूह प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है।

अतः कहा जा सकता है कि स्वंय सहायता समूह की अवधारणा बचत एवं ऋण, आपसी विश्वास, सहभागिता, एकरूपता, समता व प्रजातन्त्रत्मक प्रणाली से निर्णय करने पर आधारित है जिसमें सदस्य गरीबी निवारण के लिए संघर्षशील होते है।

स्वंय सहायता समूह क्यों?

पिछले तमाम अनुभवों के आधार पर निम्न मुद्दे व समाधान उभर कर सामने आते हैं:

- क्या एकल प्रयत्न की जगह सामूहिक व एकजुट प्रयास वर्तमान सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के निदान में अधिक कारगर हैं, जिनके द्वारा गरीब व बेरोजगार महिला एवं पुरूषों के सगठंन के माध्यम से विकास प्रणाली का माध्यम व भाग बनाया जाए ।
- एक ऐसी व्यवस्था के विकास की आवश्यकता है जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय एवं एक दूसरे में सम्बन्ध हो ?

- उपलब्ध संसाधन एवं कार्यक्रमों के बीच तालमेल रखकर स्थानीय महिलाओं को एक ऐसे समूह के रूप में जोड़ा जाए कि वे संगठित होकर स्थानीय योजनाएं बनाएं, उनको लागू करें व आस्तियों के रखरखाव की प्रक्रिया से जुडें।
- सामाजिक गतिशीलता का आरंभ सबसे नीचले स्तर से तथा सगंठनात्मक तरीके से होना चाहिए।
- जब लोग संगठित होते है, सयुक्त निर्णय करते हैं और उन्हें बराबर के मौके मिलते हैं तो निश्चय ही उनमें भाईचारे की भावना बढती है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में तथा हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की वास्तविकताओं के दृष्टिगत आवश्यकताए:

1. ग्राम स्तर पर छोटे-2 सगठंन बनाना तथा उनकी क्षमताओं का विकास कर उन्हें मजबूत करना।
2. सामाजिक-आर्थिक पिछड़े-पन से संयुक्त प्रयत्न द्वारा छुटकारा पाना।
3. समूहों का इस तरीके से विकास करना व प्रोत्साहित करना ताकि वे अपनी क्षमताओं को पहचान कर अपने साधनों एवं क्षमताओं के आधार पर सूक्ष्म-स्तरीय आय वृद्धि की गतिविधियां व काम-धन्धे अपना सकें।
4. महिला समूहों के बीच सामाजिक जागरूकता के स्तर को सुदृढ़ करना।

निर्धन महिला समुदाय के बीच सामाजिक एवं गुणात्मक सुधार लाने हेतू निम्नलिखित पहलुओं पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता:

1. कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करना।
2. बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना ।
3. बच्चों की शिक्षा पर, विशेषकर बालिका शिक्षा व स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने हेतू जन अभियान।
4. अल्पायु में बच्चों की शादी के प्रति जनसमुदाय को हतोत्साहित करना व दहेज प्रथा की बुराइयों के विरूद्ध जन-अभियान।
5. नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों से लडने का प्रयास।
6. महिलाओं एवं पुरूषों के बीच सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समानता का प्रयास।
7. साहूकारों/महाजनों के चंगुल से छुटकारा पाना।
8. महिलाओं के पास संचित बचतों को बाहर निकालना। व बचत की प्रवृति को बढावा देना।
9. छोटी बड़ी सामाजिक-आर्थिक पारिवरिक जरूरतों के लिए समय पर पैसे की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

10. सामुदायिक बिखराव व आपसी द्वेष आदि को खत्म कर एक सकारात्मक प्राथमिक स्तरीय पारदर्शी संगठन का निर्माण करना।
11. ग्रामीण समुदाय की, वित्तीय संस्थाओं तक आसान पहुँच बनाना।
12. उत्पादक कार्य में पूंजी लगाकर सदस्यों की आर्थिक, समुदायिक एवं सांस्कृतिक स्थिति मजबूत करने के लिए और आपसी भाई-चारा बढ़ाना।
13. संयुक्त जिम्मेंवारी की भावना जागृत करने हेतू ।
14. सदस्यों में उद्यमिता जगाने के लिए।

स्वंय सहायता समूह किनके लिए?

स्वयं सहायता समूह उन ग्रामवासियों एव महिलाओं के लिए है :

- जो एक दूसरे से जातीय व समुदायिक विचार धारा द्वारा जुडे हों।
- स्थान, क्रियाक्लाप, आर्थिक एवं शैक्षणिक सम्बन्ध जैसी समानताएं हों।
- उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं एवं जबाबदेही लगभग एक जैसी हों। जो आर्थिक रूप से गरीब हों तथा समूह में भाग लेना चाहते हों।
- इसके साथ-2, ग्राम-स्तरीय लघु एवं सीमान्त किसान तथा उनके परिवारों की महिलाएं भी समूह की सदस्य बन सकते हैं।
- समूह की प्रगति एवं सफलता के लिए इस प्रकार के समान सोच व सम्बन्धों (Affinity) वाले ग्रामवासियों के जुड़ने की आवश्यकता है।

स्वंय सहायता समूह कब तक

स्वंय सहायता समूह गरीबों, पिछडों व महिला सदस्यों को सशक्त करने का माध्यम है। यह किसी एक खास उद्देश्य से न जोड़कर पूरे समाज के ग्रामीण गरीब पिछड़ों व महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक-सांस्कृतिक उत्थान के मुददे से जुड़ा है। अत: यह एक सतत व न टूटने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। अर्थात, स्वयं सहायता समूह अभियान एक पौधे को लगाने, उसे पालने, तथा उसकी छाया व फल का स्वाद लेने की निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

स्वंय सहायता समूह कैसे बनाएं?

स्वंय सहायता समूह का गठन लक्ष्य-आधारित या रातों-रात या हाथों-हाथ पूरा होने वाली किसी भी संक्षिप्तीकृत प्रक्रिया द्वारा नहीं होना चाहिए। क्योकि समूह उन गरीब, सामाजिक-आर्थिक पिछड़े

महिला–पुरूषों का समूह है जिन्हें अपनी क्षमता से समूह का संचालन करना है तथा इसके निर्माण के दौरान ही उन्हें अपनी क्षमताओं का निर्माण करना है। यह एक धीमी व समय लेने वाली प्रक्रिया है।

समूह का गठन एक सामाजिक गतिशीलन (social mobilisation) की प्रक्रिया से होता है, जो स्वतः प्रारम्भ होने वाली नहीं है। इसे किसी सामाजिक कार्यकर्ता, प्रेरक, (Animator) परिवर्तनकारी (Catalyst), सहायक (Helper) या सुविधाप्रदायक (Facilitator) द्वारा प्रारम्भ किया जाना अपेक्षित व आवश्यक है।

अतः समूह का गठन एक सुनियोजित व चरण–बद्ध प्रक्रिया के तहत होना चाहिए जिसमें सभी सदस्यों की बराबर भागीदारी हो।

ग्रामीणों की सभा

ग्रामीण निर्धनों की एक सभा बुलाएं । जिसमे अपनी योजना/स्वयं सहायता समूह की (प्रक्रिया, लाभ, आदि के बारे में) पूरी जानकारी देवें। इस सभा में सरपंच/पचांयत सदस्य, अनुभवी बुजुर्ग, महिलाएं व युवा सभी हों तो अधिक अच्छा होगा। इस सभा में उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देवें तथा कोई भी शंका हो उसे दूर करें। यही है ''सामुदायिक सहभगिता'' यदि आप स्पष्टता व संवेदनशीलता से काम लेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे। गाँव वाले अवश्य ही इसे अपनायेंगे और कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा।

समूह बनाने हेतू प्रेरक व सहायक को निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी चाहिए :

- निर्धन परिवारों से परिचित होना एवं विश्वास जमाना।
- ग्रामीण निर्धनों के पास जाएं। उनसे उनकी भाषा में उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करें। अपने बारे में उनको बताएं व उनसे घुल–मिल जाएं। यदि आवश्यक हो तो बड़े बुजुर्गों से भी मिलें।
- सभी को अपनी योजना के बारे में बताएं व समझाएं कि किस प्रकार इससे उनका हित–साधन होगा।
- उनका विश्वास व समर्थन हासिल करें।
- समूह में शामिल होने वाले परिवारों की महिला सदस्यों से बातचीत कर उनकी सबसे बडी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करें।
- यह अत्यंत आवश्यक व महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें हमेशा अपनी योजना के बारे में स्पष्ट व सही बताएं और कोई भी ऐसी बात न करें जिसमें आप स्वंय स्पष्ट न हों या उन्हें भ्रमित करे। झूठे आश्वासन या लालच बिल्कुल न दें।

समूहों का क्षमतावर्धन कैसे?

समूह-गठन के उपरांत, समूह सदस्यों को समूह का संचालन व प्रबंधन स्वयं करना है, जिसके लिए उनका क्षमतावर्धन आवश्यक है। इसके लिए निम्न जरूरी है :

1. बैंक में बचत-खाता खुलवाना तथा जमा व निकासी के बारे में जानकारी।
2. समूह संचालन के विभिन्न पहलुओं के बारे जानकारी, जैसे : नियमित बैठकें कैसे करें, कार्यवाही कैसे लिखें, लेखा-जोखा व रिकार्ड कैसे लिखें, लेन-देन कैसे करें, सभी सदस्यों की भागीदारी कैसे हो, निर्णय कैसे करें, प्राथमिकता कैसे निर्धारित करें, सामाजिक मुद्दों सवालों का निदान कैसे करें आदि।
3. इनके लिए समय-2 पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाएं।
4. समूहों को अधिक मजबूत व सफल बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि समूह सदस्यों को उन समूहों से मिलवाया जाए जो सफल रहे हों। तथा उनके सदस्यों से विभिन्न मुद्दों पर आपसी वार्तालाप-चर्चा करवाई जाए।

कौशल विकास प्रशिक्षण

- ❖ समूह सदस्य कोई आर्थिक क्रियाकलाप शुरू कर सकें, इसके लिए सदस्यों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन करके तथा सभी सम्बंधित हित-भागियों से सलाह मश्विरा करके सुनियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना चाहिए जिसमें कौशल विकास के साथ-2 बुक-कीपिंग, बैंक ऋण का लेन-देन, ऋण का प्रयोग, ऋण की चुकौती, उत्पाद-सेवा का विपणन, आदि, विषयों पर जानकारी दी जानी चाहिए।

आंकलन

- ❖ समूह भली प्रकार कार्य कर रहे हैं, उनकी क्षमता का निर्माण हो रहा है, उनकी कार्य प्रणाली सही है, आदि का बीच-2 में आंकलन करना चाहिए व जहाँ कमजोरियाँ हों उनमें सुधार का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए समूह की ग्रेडिंग किया जाना जरूरी है। एस.जी.एस.वाई. के तहत, प्रथम ग्रेडिंग समूह बनने के 6 माह व द्वितीय चक्रीय निधि के वितरित किऐ जाने के 6 माह बाद की जानी चाहिए।

समूहों के विकास के विभिन्न चरण

- ❖ समूह गठन व विकास की प्रक्रिया एक लम्बी व सतत प्रक्रिया है जिसे सभी स्थानों व क्षे्त्रों मानीकृत (Standardised) किया जाना न ही तो सम्भव है और न ही सही। फिर भी, इस संदर्भ

में प्रेरकों हेतू निम्नलिखित मार्गदर्शिका सहायक सिद्ध हो सकती है। समूह विकास के निम्न चरण माने जाने चाहिएं।

1. **समूह निर्माण चरण :** स्व-प्रबंधित सगंठन के रूप में समूहों के निर्माण, विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक है कि सुविधा प्रदाता द्वारा सदस्यों की समानताओं, के स्वाभाविक बन्धनों एवं लगावों को समुचित महत्व देना।

2. **समूह स्थिरता बचत एवं ऋण क्रियाक्लाप द्वारा समूह निधि का निर्माण :** ऋण का लेन-देन शुरू करना। समय पर ऋण लेना व वापस करना। नियमित बचत। सीमित संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता तय करना। प्रत्येक सदस्य की सीखने की क्षमता का समुचित तरीके से आंकलन। ब्याज निर्धारित करना। कौशल अर्जित करना आदि। इस चरण के अन्त में, समूह बनने के 6 माह बाद प्रथम ग्रेडिंग किया जाना चाहिए।

इस चरण के दौरान बचत में विलम्ब, ऋण भुगतान में विलम्ब, बैठक में देर से हाजिर होने, अनुपस्थित होने आदि के मामले सामने आ सकते हैं अतः सदस्यों द्वारा ऐसे व्यवहार पर पांबदी लगाना सीखना एक जरूरी तत्व है।

3. **माइक्रो (लघु) वित्त :** एस.जी.एस.वाई. के तहत बने समूहों की प्रथम ग्रेडिंग के उपरान्त उन्हें डी आर डी ए व बैंकों से रिवाल्विंग फण्ड मिलता है जिससे उनकी लेन-देन की क्षमता में वृद्धि होती है। इस चरण में अन्त में दूसरी ग्रेडिंग की जाती है।

4. **लघु उद्यम (Micro Enterprise) विकास :** इस चरण में समूह आय सृजन हेतू अर्थिक गतिविधियां शुरू करते हैं। इसी चरण उद्यमिता विकास तथा कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरी ग्रेडिंग में सफल समूह आय पैदा करने वाले क्रिया-क्लाप शुरू करते है। बैंक ऋण लेते हैं। समूह अन्य लघु वित्त चरण में रहते है जिनको सक्षम बनाने हेतू सघन प्रशिक्षण द्वारा क्षमता निर्माण किया जाता है। दूसरी ग्रेडिंग लगभग समूह बनने के एक वर्ष बाद या रिवाल्विंग फंड मिलने के 6 माह वाद की जाती है।

समूह को सफलता पूर्वक चलाने हेतू दिशा-निर्देश

क्या करें	क्या न करें
❖ एक दूसरे का सम्मान। ❖ एक दूसरे की मदद। ❖ शकां-समाधाान आपस में। ❖ खुला व आमने सामने विचार विमर्श।	❖ एक दूसरे की चुगली। ❖ धार्मिक विचार-विमर्श। ❖ राजनैतिक विचार-विमर्श। ❖ मैं की भावना (मेरा समूह) Ego

❖ लिखना–पढ़ना सीखना। ❖ संयुक्त प्रयत्न । ❖ नियमित बचत ।	❖ जाति–पाति की भावना।

समूह बनाने में बाधक तत्व

- ❖ सामाजिक ढाँचा, जैसे जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, आदि।
- ❖ आर्थिक ढाँचा जैसे साहूकार/जमींदार का वर्चस्व व प्रभाव।
- ❖ राजनैतिक ढाँचा जैसे राजनेताओं द्वारा अवांछित हस्तक्षेप।
- ❖ परम्पराएं, जैसे महिलाओं का घर की चारदीवारी में ही सीमित रहना।
- ❖ प्रेरकों में समुचित जानकारी, क्षमता व रूचि का अभाव।

अध्याय-3
स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में गतिविधि कलस्टर

क्लस्टर अवधारणा क्या है?

क्लस्टर का अर्थ है एक क्षेत्र विशेष क्षेत्र जिस में एक ही प्रकार की आर्थिक, रोजगार-परक व आय-सर्जक गतिविधियों का जमावड़ा हो या एक-दूसरे के उद्यमों में काम आनेवाले उत्पादक-उद्यम जो एक ही प्रकार की बुनियादी सुविधाओं, बाजार और सेवाओं का उपयोग करते हैं। जिन्हें एक समान अवसर मिलते हैं व जिन्हें एक प्रकार के जोखिम उठाने होते हैं।

ग्रामीण भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जहां के कारीगर पारंपरिक कुशलता के आधार पर प्राकृतिक क्लस्टरों में सदियों/दशकों में विकसित हुए हैं और चल रहे हैं। मिर्ज़ापुर (उत्तर प्रदेश) का कालीन की बुनाई, कांचीपुरम (तमिलनाडु) का रेशम हथकरघा, जयपुर (राजस्थान) का ब्लू पाटरी, हावड़ा (पश्चिम बंगाल) का जरी का काम, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) का पीतल का काम, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) के ताले बनाने का कार्य, पानीपत (हरियाणा) का हथकरघा, रेवाड़ी (हरियाणा) का तिला-जूती उद्योग बिना किसी सरकारी प्रयास के बने क्लस्टरों के जीवंत उदाहरण हैं।

विभिन्न उत्पादक संगठनों, विकास संस्थानों, सरकारी विभागों तथा वित्तीय संस्थाओं के समन्वित प्रयासों से ऐसे क्लस्टर विकसित किए जा सकते हैं। औद्योगिक समूहों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन कई सफल कदम उठाए गए हैं।

क्लस्टर अवधारणा कृषि तथा कृषीतर क्षेत्र में प्रत्येक आर्थिक कार्यकलाप में अपनायी जा सकती हैं। 'अमुल' पद्धति पर विकसित सहकारी डेरी में शामिल लाखों प्राथमिक स्तरीय दूध उत्पादक संघ कृषि क्षेत्र के विकास में क्लस्टर अवधारणा की सफलता की एक जीती-जागती मिसाल है।

औद्यौगिक रूप से विकसित तथा विकासशील देशों में क्लस्टर अवधारणा पिछले एक दशक में उपजी एक ऐसी प्रभावी सोच है जो प्रतिस्पर्धी वातावरण तथा वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने में छोटे उद्यमों को सक्षम बनाती है।

इसी परिप्रेक्ष्य में, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्वरोजगारियों के विकास के लिए छोटे उद्यमों के विकास के मामले में क्लस्टर पद्धति अपनाने पर बल देती है।

क्लस्टर की आवश्यकता क्या है?

क्लस्टर पद्धति के निम्नलिखित लाभ हैं :

- क्लस्टर विकास से सम्बंधित उद्यमियों को कच्चे माल की खरीद, उत्पादन और उत्पादन–पश्चात प्रक्रियाओं, जैसे विपणन, ढुलाई, स्टोरेज, आदि, के दौरान विभिन्न किफायतें और फायदे होते हैं।
- क्लस्टर पद्धति द्वारा उत्पादन–पूर्व (Backward Linkages) और उत्पादन–पश्चात (Forward Linkages) सुविधाओं के सृजन व उपयोग के लिए एक प्रभावी वातावरण तैयार होता है।
- छोटे उद्यमों के कार्य व उनकी प्रगति पर अच्छी निगरानी की जा सकती है।
- कौशल विकास (Skill Development) तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन (Technological Upgradation) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बेहतर आयोजन के लिए सुविधा होती है।
- इससे स्वरोजगारियों, सरकारी संस्थाओं, बैंकों तथा कार्यक्रम के अन्य सहभागियों के बीच नियमित संपर्क संभव होता है।
- स्वरोजगारियों की सामूहिक सौदे व समझौते (collective bargaining) की शक्ति बढ़ती है।
- उद्यमों की लाभप्रदता में वृद्धि होती है।

अध्याय-4

स्वरोजगारियों का वित्तपोषण

❖ स्वरोजगारियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: ग्रामीण गरीबों से गठित स्वयं-सहायता समूह के सदस्य तथा वैयक्तिक स्वरोजगारी।

❖ स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अधीन दोनों प्रकार के स्वरोजगारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

❖ यद्यपि मुख्यत: सामूहिक वित्तपोषण पर बल दिया जाता है, तथापि प्रमुख गतिविधियों के अधीन चयनित वैयक्तिक स्वरोजगारियों के वित्तपोषण की मनाही नहीं है।

❖ इस भाग में दोनों प्रकार के स्वरोजगारियों के वित्तपोषण की चर्चा की गई है।

❖ स्वरोजगारियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: ग्रामीण गरीबों से गठित स्वयं-सहायता समूह के सदस्य तथा वैयक्तिक स्वरोजगारी।

❖ स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अधीन दोनों प्रकार के स्वरोजगारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

❖ यद्यपि मुख्यत: सामूहिक वित्तपोषण पर बल दिया जाता है, तथापि प्रमुख गतिविधियों के अधीन चयनित वैयक्तिक स्वरोजगारियों के वित्तपोषण की मनाही नहीं है।

❖ इस भाग में दोनों प्रकार के स्वरोजगारियों के वित्तपोषण की चर्चा की गई है।

स्वयं सहायता समूहों का वित्तपोषण

❖ जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई है, स्वयं सहायता समूहों के विकास के चार चरण हैं : समूह गठन, समूह स्थिरीकरण, सूक्ष्म ऋण और सूक्ष्म उद्यम विकास। वित्तीय सहायता सूक्ष्म ऋण तथा सूक्ष्म उद्यम विकास चरणों में प्रदान की जाती है।

सूक्ष्म-ऋण चरण में वित्तपोषण

❖ यह वह चरण होता है जब समूह बैंक से नकद ऋण (cash credit) के रूप में चक्रीय निधि (Revolving Fund) के लिए पात्र समझा जाता है। इसमें डी.आर.डी.ए. द्वारा अनुदान तथा बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है ताकि समूह सूक्ष्म-ऋण गतिविधियों (micro-credit activities) को अपना सके।

❖ समूह अपने गठन के बाद लगभग छः महीनों की अवधि में इस स्तर तक पहुंच सकते हैं, तथापि कई बार इसके लिए छः महीनों से अधिक अवधि भी लग सकती है। यह अवधि प्रायः सदस्यों की साक्षरता, उनके जागरूकता-स्तर और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, एनीमेटर/सहायक संस्था की कुशलता, आदि पर निर्भर करती है।

❖ यदि समूह के संचालन में निम्नलिखित मूल बातें देखने में आती हैं तो यह समझा जा सकता है कि समूह सूक्ष्म ऋण चरण में पहुंच गया है:

- बैठकों का नियमित आयोजन
- बैठकों में अच्छी उपस्थिति
- मिल-जुल कर निर्णय लेना
- नियमित बचत
- सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं का सही आंकलन
- सामूहिक निधि से सदस्यों को ऋण देना
- संतोषजनक चुकौती प्रक्रिया
- बहियों का उचित रखरखाव
- वित्तीय मामलों में समूह में अनुशासन

❖ किंतु उपर्युक्त मुद्दों का आकलन करने में विचारों में मतभेद हो सकते हैं, इसलिए, समूहों के आकलन में जहां तक संभव हो सके निष्पक्ष मानदंड व प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

प्रथम वर्गीकरण परीक्षा (First Grading Test)

❖ यह एक जटिल परीक्षा है जिसके द्वारा इस बात का आंकलन करने में सहायता मिलती है कि क्या स्वयं सहायता समूहों को उनकी उपलब्धि के आधार पर चक्रीय निधि (Revolving Fund) व अनुदान (Subsidy) के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

- प्रथम वर्गीकरण परीक्षा (First Grading Test) का उद्देश्य समूहों को 'पास' या 'फेल' करना नहीं है
- यदि समूह अच्छा निकलता है और छोटे ऋण के लेन-देन के लिए बाहरी निधियों का प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो उस समूह को तत्काल बैंक से सहबद्ध (लिंक) करने की आवश्यकता होती है ताकि वह बड़े ऋण लेन-देन के लंबे रास्ते पर चल पड़े।

- दूसरी ओर, यदि समूह ऋण-योग्य नहीं पाया जाता है तो उसे सक्षम एंव सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता होगी। समूह की कमजोरियों को उसके सदस्यों के समक्ष रखा जाना चाहिए ताकि वे इस पर चर्चा कर सकें और इन्हें दूर करने के उपाय कर सकें तथा क्षमता विकास (Skill Development) के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को ऐसे समूहों पर ध्यान देना होगा ताकि वे इस तरह के समूहों को अच्छे समूहों में बदल सकें। कुछ समय बाद ऐसे समूहों में प्रथम श्रेणीकरण परीक्षा की प्रक्रिया पुनः अपनानी चाहिए।
- प्रथम वर्गीकरण परीक्षा के सभी कार्य व आवश्यक व्यवस्था का दायित्व डी.आर.डी.ए. पर होता है।

चक्रिय या परिक्रामी निधि (Revolving Fund)

❖ परिक्रामी निधि क्यों

- आरंभ में स्वयं-सहायता समूह के सदस्यों द्वारा बचत की गई राशि बहुत छोटी होती है और अपनी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त होती है। इस वजह से केवल कुछ ही सदस्यों को ऋण प्राप्त हो सकेगा या छोटी मात्रा में ही ऋण मिल सकेगा जो सदस्यों के लिए आकर्षक नहीं होगा। दोनों ही स्थितियों में, सदस्य समूह से अलग होने लगते हैं। दूसरा, आंतरिक लेन-देन के बिना समूह अपनी ऋण-साख को सिद्ध नहीं कर सकते जोकि बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। दोनों ही स्थितियों में एक बड़ी सामूहिक निधि की आवश्यकता पड़ती है। इस समस्या का हल परिक्रामी निधि द्वारा हो जाता है क्योंकि यह समूह के संसाधनों को पर्याप्त मात्रा में बढ़ा देती है जिससे वह बड़े पैमाने पर अपने सूक्ष्म ऋण का लेन-देन कर सके। इस प्रकार, रिवाल्विंग फण्ड की सहायता से सम्भव ऋण सम्बंधित लेन-देन के सफल संचालन व व्यवहार से समूह अंतिम अर्थात सूक्ष्म-उद्यम विकास चरण में पहुंच सकता है जिसमें वह प्रमुख आय-सर्जक गतिविधियों को अपनाने के लिए बैंक ऋण तथा अनुदान के लिए पात्र बन जाता है।

परिक्रामी निधि का उद्देश्य

- समूह निधि (group corpus) का संवर्धन
- अधिक सदस्यों को समूह से ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करना
- सदस्यों की प्रति व्यक्ति ऋण-उपलब्धता को बढ़ाना

- समूहों की ऋण सम्बंधी व्यवहार कुशलता व लेन-देन की क्षमता का विकास

परिक्रामी निधि (Revolving Fund) का उपयोग कैसे किया जाए?

❖ समूह निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए परिक्रामी निधि का उपयोग कर सकता है:

- सदस्यों को अपनी आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए वैयक्तिक ऋण के रूप में।
- समूह स्तर पर कच्चे माल की खरीद व तैयार माल की बिक्री जैसी गतिविधियों को सामूहिक तौर पर अपनाने के लिए इस निधि का उपयोग कर सकते हैं। ये उनकी लागतें कम करने व लाभों को बढ़ाने में सहायक होती है।

कौन से समूह पात्र हो सकते हैं?

- ऐसे स्वयं-सहायता समूह जो छः महीने से अधिक समय से कार्य कर रहे हों।
- प्रथम वर्गीकरण परीक्षा के माध्यम से जिन स्वयं-सहायता समूहों को सक्षम पाया गया है।

ध्यान रहे कि डवाकरा (DWACRA) अथवा किसी अन्य सरकार-प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन जिन समूहों ने परिक्रामी निधि प्राप्त कर ली हो, ऐसे समूह स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अधीन दोबारा पात्र नहीं होंगे।

समूह-निधि क्या है?

❖ किसी नियत तिथि को किसी समूह की निधि का आंकलन निम्नलिखित तत्वों (मदों) के आधार पर किया जाता है:

- समूह के पास उपलब्ध नकद शेष
- समूह के बचत खाते में उपलब्ध शेष सामूहिक बचत
- समूह के सदस्यों के सभी शेष ऋण
- सदस्यों के ऋणों पर अर्जित ब्याज
- बचत खाते में बकाया ब्याज

रिवाल्विंग फण्ड की विशेषताएं

- इसे नकद ऋण (cash-credit) सुविधा के रूप में दिया जाता है।
- इसमें दो घटक हैं : बैंक ऋण तथा अनुदान

- बैंक ऋण सामूहिक बचत के अनुपात में होता है। ऋण प्राप्त करने की क्षमता के आधार पर तथा समूह की ऋण–साख को ध्यान में रखते हुए, सामूहिक बचत के 4 गुना राशि तक नकद ऋण सीमा की स्वीकृति दी जा सकती है।
- सामूहिक बचत की राशि के बराबर अनुदान (subsidy) न्यूनतम 5000/- रू.तथा अधिकतम 10000/- रू. प्रति समूह दिया जाता है।
- यदि बाद में यह पाया जाता है कि समूह लघु उद्यम विकास चरण में पहुंच पाने में कामयाब नही हुआ है तो उसकी जरूरत के अनुसार तथा, यदि रिवाल्विंग फण्ड का उचित ढंग से प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे पूर्व में दिए गये अनुदान सहित 20000 रूपये तक अनुदान दिया जा सकता है।
- बैंक की कुल नकद ऋण–सीमा, ऋण–पात्रता (सामूहिक बचत के गुणज में Multiples of Group Corpus) तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा स्वीकृत अनुदान के बराबर होगी।
- नकद ऋण–सीमा समूह के नाम स्वीकृत की जाएगी।
- नकद ऋण खाता (परिक्रामी निधि) स्वयं–सहायता समूह के बने रहने तक चलता रहेगा और इसके परिचालन से ऋण दाता बैंकर संतुष्ट होना चाहिए।
- अनुदान की राशि बैंक के पास अनुदान प्रारक्षित निधि (Subsidy Reserve Fund) खाते में स्वयं सहायता समूह के नाम रहेगी। इस पर नकद प्रारक्षित अनुपात (cash reserve ratio) तथा सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio) का नियम लागू नहीं होगा।
- बैंक, बैंक ऋण वाले अंश पर ही ब्याज प्रभारित कर सकते हैं अर्थात कुल नकद ऋण–सीमा में से अनुदान की राशि घटाने के बाद बची शेष राशि पर ही ब्याज लगाया जाएगा।
- समूह को दिए गये ऋण पर, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार इस प्रकार के ऋणों के लिए समय–समय पर निर्देशित ब्याज–दर ही लागू होगी।

चूककर्ताओं का वित्तपोषण (Defaulter Cases)

❖ कुछ मामलों में, स्वयं–सहायता समूहों में कुछ ऐसे सदस्य हो सकते हैं जिन्होंने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) अथवा अन्य ऋण/विकास कार्यक्रमों में दिए गए ऋणों की चुकौती में चूक (Default) की होगी। इन चूककर्ताओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :

- जानबूझकर चूक करनेवाले (willful defaulters)
- जानबूझकर चूक न करनेवाले चूककर्ता (non-wilful-defaulters)

- ऐसे जानबूझकर चूक न करनेवाले चूककर्ताओं जिनकी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन 5000/- रू. तक की अतिदेयताएं (overdues) हैं, को बैंक एसजीएसवाई के अधीन ऋण प्रदान कर सकता है। यद्यपि अनुदान संबंधित वर्ग के लिए निर्धारित सीमा तक ही दिया जायेगा, किंतु उसमें से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन पूर्व में प्राप्त की गयी अनुदान की राशि को घटा दिया जाएगा।
- खंड विकास अधिकारी या उसके प्रतिनिधि सहित, बैंक प्रबंधक तथा सरपंच की संयुक्त टीम/समिति जानबूझकर चूक न करनेवाले चूककर्ताओं को प्रमाणित करेगी।
- बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो स्वरोजगारी स्वर्णजयंती ऋण की चुकौती कर सकता है किंतु उसने चुकौती नहीं की है जानबूझकर चूक करनेवाला चूककर्ता कहलाएगा।
- यदि किसी समूह में जानबूझकर चूक करनेवाले चूककर्ता सदस्य हैं तो उन्हें समूह के अन्दर बचत एवं ब्याज के आधार पर निर्मित समूह निधि (Group Corpus) के अन्तर्गत ऋण गतिविधियों से लाभ लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। किंतु उन्हें आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक वे बकाया ऋण नहीं चुका देते। समूह को ऋण प्रदान करते समय ऐसे चूककर्ताओं को गिनती में न ले कर वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
- ध्यान रहे कि बैंकर को जानबूझकर चूक करनेवाले चूककर्ता के संबंधियों को ऋण मना नहीं करना चाहिए बशर्ते कि स्वरोजगारी उसी 'परिवार' का न हो जिसमें जानबूझकर चूक करने वाला चूककर्ता रहता हो। परिवार की परिभाषा में वैवाहिक संबंधी, रक्त-संबंधी और दत्तक संबंधी हो सकते हैं, जैसे कि पति, पत्नी, आश्रित माता-पिता, भाई/बहन, पुत्र/पुत्री। जब तक वे संबंधी एक घर में साथ रहते हैं तब तक यह परिवार जानबूझकर चूक करनेवाला चूककर्ता परिवार कहलाएगा। यदि इनमें से कोई संबंधी अलग घर बसाता है या अपने परिवार से अनाश्रित हो जाता है, तो वह उसी गरीबी रेखा वाले परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा।
- किसी आवेदक का घर अलग है या नहीं, यह निर्धारण करने के लिए केवल ऋण- आवेदक की घोषणा पर्याप्त नहीं है कि वह अपने परिवार से अलग रहता है। निर्णय लेते समय शाखा प्रबंधक तथ्यों की जांच अपने स्तर पर स्वयं कर सकते हैं या संदेहास्पद मामलों में गांव का दौरा कर सकते हैं।
- एक ही घर में दो चूल्हों या दो राशन कार्डों की उपलब्धि दो परिवारों की बात की पुष्टि करती है।

सामूहिक जीवन बीमा योजना क्या है?

- भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक जीवन बीमा योजना के अधीन 18 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से कम उम्र के स्वरोजगारियों को शामिल किया गया है। यह योजना उस दिन से प्रभावी होती है जिस दिन उस स्वरोजगारी को आस्ति संवितरित की जाती है और यह उसकी 65 वर्ष की उम्र तक या आरंभ होने की तिथि से 5 वर्ष तक, जो भी पहले पूरी होती हो, प्रभावी रहती है। स्वरोजगारी की प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में उसके नामिनी (Nominee) को 6000/- रू. और दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 12,000 रू. का मुआवजा दिया जा सकता है। स्वरोजगारी की जन्म तिथि/उम्र का पता लगाने के लिए राशन कार्ड, मतदाता सूची, गरीबी रेखा की सूची तथा, शिक्षित होने की स्थिति में, विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र (School Leaving Certificate), आदि का होना काफी है। इस प्रकार के दस्तावेज न होने की स्थिति में स्वरोजगारी द्वारा की गई घोषणा ही पर्याप्त होगी।

वित्तपोषक बैंक सामूहिक जीवन बीमा योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों, जैसे दस्तावेजों के बनाने, बीमे की प्रीमियम राशि प्राप्त करने के वास्ते स्वरोजगारियों संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने, दावों की प्रस्तुति तथा क्षतिपूर्ति, आदि, में शामिल होगा। बैंक को सामूहिक जीवन बीमा योजना के अधीन प्राप्त दावे की राशि का बकाया ऋण की देयताओं को वसूली के लिए समायोजित नहीं करना चाहिए।

अध्याय-5

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में भागीदार व उनकी भूमिका

उद्देश्य

❖ इस अध्याय का उद्देश्य स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजगा के क्रियान्वयन में शामिल हितभागियों (Stakeholders) की भूमिका की सही जानकारी देना ताकि उनके कार्यान्वयन में समन्वय स्थापित किया जा सके और उसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके। वस्तुतः इनमें आपसी समन्वय व सहयोग द्वारा ही इस योजना को उचित ढंग से लागू किया जा सकता है तथा स्वयं सहायता समूहों को एक आंदोलन का रूप देकर न केवल ग्रामीण भारत के कमजोर वर्गों को रोजगार दिया जा सकता है बल्कि ग्रामीण अंचल से निर्धनता के अभिशाप को भी समाप्त किया जा सकता है। सभी हितभागियों के सम्मिलित प्रयासों से ही गरीबों का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण किया जाना सम्भव है। इस योजना में निम्नलिखित की भागीदारी है :

- जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी. आर. डी. ए.)
- बैंक
- लाईन विभाग
- एन. जी. ओ.
- पंचायती राज संस्थाएं
- तकनीकी संस्थाएं

डी.आर.डी.ए. की भूमिका

❖ जिला स्तर पर एक नोडल एजेंसी के रूप डी.आर.डी.ए. के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं:

- सभी सहभागियों के साथ गहरा तालमेल
- स्वयं सहायता समूह बनाना और उनकी क्षमता बढ़ाना
- ऋण लेने के लिए उनका बैंकों से तालमेल करवाना
- बैंकों की सहायता से समय पर उनका वर्गीकरण (ग्रेडिंग) ताकि अच्छा कार्य करने वाले समूहों को बैंकों से जोड़ा जा सके

- उन्हें प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं (Self Help Promoting Institutions) के रूप में कार्य कर सकने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं (NGOs) की पहचान करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना
- जिन स्वरोजगारियों का ऋण और सब्सिडी (अनुदान) मंजूर हो चुकी हो, उनके लिए न्यूनतम कौशल-आवश्यकता तथा मूल अभिमुखीकरण (Basic Orientation) कार्यक्रमों का प्रबंध करना
- खंड स्तर पर ग्रामों में गतिविधि समूहों (क्लस्टरों) व प्रमुख गतिविधियों (Key Activities) की पहचान करना तथा खंड/जिला ग्राम स्वरोजगार समितियों द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद इसे सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं/बैंकों को प्रेषित करना।
- पहचानी गई गतिविधियों की प्रोजेक्ट रिर्पोट तैयार करना और बैंकों और दूसरे सहभागियों के पास भेजना।
- बुनियादी सुविधाओं की कमियों का पता लगाना और बैंकों के साथ सलाह करके उनके विकास के लिए प्रस्ताव तैयार करना।
- मेलों व प्रदर्शनियों का आयोजन करके, बाजार की मांगों की जानकारी हासिल करके, बिक्री केन्द्रों की स्थापना करके तथा खादी ग्रामोद्योग केन्द्र (के.वी.आई.सी.) /खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (के.वी.आई.बी.), दस्तकार और हथकरघा विकास निगम, आदि संस्थाओं की मदद से समूहों के माल की बिक्री के लिए उपाय करना।
- वार्षिक कार्य योजना (Annual Action Plan) और भावी योजना (Perspective Plan) बनाना।
- स्वरोजगारियों द्वारा अच्छी अस्तियों (Assets) के निर्माण को सुनिश्चित करना।
- बैंकों के साथ मिलकर आस्तियों की भौतिक जांच (फिजीकल वेरीफिकेशन) करना।
- कर्जा देने के बाद स्वरोजगारियों के साथ सम्बंध व तालमेल बनाए रखना और छोटे/सूक्ष्म उद्यमों (धन्धों) के बारे में उनका आवश्यक मार्गदर्शन करना।
- स्वरोजगारियों की प्रगति पर लगातार नज़र रखना ताकि उन्हें उम्मीद व लक्ष्य के अनुसार आमदनी हो सके।
- कर्जों की वसूली के लिए बैंकों के साथ मिलकर कोशिश करना।
- अनुदान के अधिग्रहण व उसके बैंकों की देनदारी की वसूली के लिए प्रस्तावों की जांच करना।

- जिला और खण्ड स्तर की स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समितियों की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित करना।
- इस योजना में प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास, आधारभूत अभिमुखीकरण (Basic Orientation), उद्यमशीलता विकास (Entrepreneurial Development) तथा आर्थिक कार्यकलापों (Economic Activities) के लिए समुचित खर्च की अनुमति है।

डी.आर.डी.ए. के अधिकारी अपनी यह भूमिकाएं तभी सही ढंग से निभा सकते हैं यदि उन्हें इस कार्यक्रम का सही ज्ञान हो, उनकी इस कार्य में निष्ठा हो, उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा हो, तथा उन्हें स्वरोजगारियों की सामाजिक पृष्ठ-भूमि, सांस्कृतिक परिवेश, आर्थिक परिस्थितियों का ही नहीं अपितु उनकी मानसिकता और रूझानों का भी पूरा ज्ञान हो।

बैंकों की भूमिका

- ❖ इस योजना को लागू करने में बैंकों की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बैंक द्वारा ऋण सरकारी अनुदान से कहीं अधिक महत्त्व रखता है। इसलिए, इसे सही ढंग से लागू करने के लिए बैंकों के गहरे व प्रभावी सहयोग की जरूरत होती है।

बैंकों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका

- ❖ ग्राम समूहों (क्लस्टर) तथा प्रमुख कार्यकलापों और बुनियादी सुविधाओं की कमियों की पहचान करने, प्रोजेक्ट रिर्पोट तैयार करने तथा जिले में कार्यक्रम लागू करने के अन्य सभी पहलुओं की जांच के लिए सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों का ब्लाक और जिला स्तरों की एस.जी.आर.वाई. समितियों में सक्रिय भाग लेना।
- ❖ स्वयं सहायता समूहों के साथ निकट संबंध बनाना और उनमें स्वरोजगार के अवसरों के बारे में जागरूकता लाना ।
- ❖ उनका बचत खाता खोलना तथा उनकी बचत, सदस्यों की बीच ऋण की बांट और उसकी वसूली आदि पर नजर रखना।
- ❖ उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेना।

- स्वरोजगारियों को चुनने के लिए बी.डी.पी.ओ. और सरपंच के साथ जाकर ग्राम सभाओं में भाग लेना।
- समूहों के वर्गीकरण (ग्रेडिंग) के काम में भाग लेना।
- स्वरोजगारियों की कार्य-कुशलता तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इकाई लागत तथा सुझाए गए उद्यमों की लागत के अनुमान आदि को ध्यान में रखते हुए उन के ऋण की जरूरत का हिसाब लगाना।
- प्रस्ताव प्राप्त होने 15 दिन के भीतर, किन्तु हर हाल में एक महीने की अवधि में, ऋण मंजूर करना।
- स्वरोजगारियों को स्वीकृत ऋण हिस्सों में न देकर समुचित मात्रा में एक बार देना ताकि उन्हें कुल लागत के लिए पर्याप्त पूंजी मिल सके।
- कर्ज़ देने से पहले उनकी तकनीकी और प्रबंध करने की आवश्यक न्यूनतम कुशलता सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रबंधन कुशलता प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ (Resource Person) की भूमिका निभाना।
- स्वरोजगारियों/समूहों को योजना के अधीन मिलने वाली पैसे की सहायता के नियमों व शर्तों तथा कर्ज़ की जल्दी अदायगी से मिल सकने वाले प्रोत्साहन (incentive) की जानकारी देने के लिए उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेना।
- रिज़र्व बैंक और नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दरों, ऋणों की अवधि, नकद एवं चरणवार संवितरण, जमानत सम्बंधी मानदण्डों, आदि के बारे में समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना।
- डी.आर.डी.ए. के साथ मिलकर स्वरोजगारियों की आस्तियों (Assets) की भौतिक जांच ताकि वे अच्छी आस्तियां बना सकें।
- उन की आस्तियों के अंकन (उन पर निशान लगाने) का काम।
- उन्हें अपने कामकाज के विस्तार के लिए जरूरत के अनुसार समय-समय पर ऋण देना।
- अन्त में दिए जाने वाले अनुदान (back-ended subsidy) का उचित रिकार्ड रखना।
- उन की पास-बुक जारी करना जिसमें सभी जरूरी ब्यौरा हो।
- कर्ज़ वापसी के लिए समय का निर्धारण वास्तविक हालात को ध्यान में रखते हुए ऐसे ढंग से किया जाए ताकि ऋण-वापसी की किश्त की रकम स्कीम से होने वाली आय के 50% से अधिक न हो।

- बैंक वालों को सप्ताह का एक दिन स्वरोजगारियों की इकाइयों को देखने–जांचने के लिए और उसके बाद की कार्यवाही करने के लिए रखना चाहिए।
- कर्ज़ की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और हर महीने चूककर्ताओं की सूची ब्लाक और जिला स्तरीय कमेटियों को भेजी जानी चाहिए ताकि वे उचित कार्यवाही कर सकें।
- कर्ज़ से बनी आस्तियों का पर्याप्त बीमा सुनिश्चित करना।
- बीमे के दावे समय पर डालना और उनके जल्द निपटारे का प्रयास करना।
- जरूरत पड़ने पर उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति स्वरोजगारी 2000 रू. तक कर्ज देना।
- नियंत्रक कार्यालयों और अन्य एजेंसियों को समय पर प्रगति रिर्पोट भेजना।
- ब्लाक स्तर की कमेटी की बैठकों में भाग लेना।

- स्वरोजगारियों की समस्याओं को सम्बंधित विभागों/एजेंसियों के सामने रखना ताकि उनका शीघ्र व सही समाधान हो सके।
- उनके साथ लगातार संपर्क रखना और उनका छोटे काम–धन्धों के चयन व संचालन के बारे में जरूरी मार्गदर्शन देना।

यह कार्यक्रम मुख्यतः ऋण से सम्बंधित है, इसलिए इसकी सफलता बहुत हद तक बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के पर्याप्त व प्रभावी योगदान पर निर्भर करती है। वे इस कार्य को तभी सही ढंग से कर सकते हैं यदि उन्हें योजना के दिशा–निर्देशों (guidelines) का सही ज्ञान हो, कार्यक्रम के महत्व का अहसास हो, उनमें देश से गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए मिशन की भावना हो तथा उन्हें स्वरोजगारियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का आवश्यक ज्ञान हो।

लाइन विभागों की भूमिका

एस.जी.एस.वाई. को लागू करने और उसकी प्रगति का ब्यौरा करने में लाइन विभागों को महत्वपूर्ण भमिका सौंपी गई है। हर विभाग अपने से संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों के लिए इस विषय में उत्तरदायी है। इसीलिये एस.जी.एस.वाई. में इन विभागों तथा योजना लागू करने वाली अन्य संस्थाओं के बीच नजदीकी संबंध व प्रभावी तालमेल बनाने पर बल दिया गया है। इन विभागों के प्रमुख कार्य हैं :

- ❖ स्वरोजगार को बढ़ावा देने के काम में डी.आर.डी.ए. और पंचायती राज संस्थाओं की तरह अपनी जिम्मेवारी समझना।
- ❖ गतिविधि संकुल (cluster) और प्रमुख गतिविधियों की पहचान करने और उनकी प्रोजेक्ट रिर्पोट बनाने मे डी.आर.डी.ए. के साथ मिल कर काम करना।
- ❖ बैंक द्वारा कर्जा मंजूर होने के बाद स्वरोजगारियों का तकनीकी मार्गदर्शन करना और उन्हें प्रशिक्षण देना। इस कार्य के लिए सम्बंधित विभाग उचित प्रशिक्षण संस्थान की पहचान करने में डी.आर.डी.ए. की सहायता करेंगे।

लाईन विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपनी ये भूमिकाएं तभी सही व प्रभावी ढंग से निभा सकते हैं यदि उनमें आवश्यक क्षमता और ज्ञान हो तथा वे एस.जी.एस.वाई. के काम को बेगार न समझ कर इसे अपना धर्म मानते हुए एक ऐसे मिशनरी की तरह काम करें जिसके दिल में ग्रामीण समाज में व्यापक गरीबी और बेरोजगारी का दर्द हो और जिसमें इन्हें दूर करने की दृढ़ इच्छा-शक्ति हो।

गैर-सरकारी संस्थाओं (NGOs) की भूमिका

- ❖ ये संस्थाएं जमीन से जुड़ी होने के कारण सामाजिक लामबन्दी (social mobilization) का कार्य सरकारी संस्थाओं की तुलना में अधिक अच्छे ढंग से कर सकती हैं, बशर्ते कि ये सरकारी संस्थाओं की प्रतिद्धन्दी न बनकर उनकी सहयोगी बनकर व इन से कन्धे से कन्धा मिलाकर चलें और एक पूरक के रूप में कार्य करें।
- ❖ गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा नीचे बताए कार्य किए जा सकते हैं :
  - गांव में गरीबों को एस.एच.जी. में संगठित करना।
  - इनके समूहों के गठन और विकास की प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निभाना।
  - इनसे निकटता बना कर विभिन्न कार्यों में, खासकर हिसाब-किताब बनाने/रखने में, इन का मार्गदर्शन करना ताकि ये बैंक-ऋण के पात्र बन सकें और बैंकों को भी इन पर भरोसा हो सके।
  - प्रशिक्षण का आयोजन कर समूहों की क्षमता को बढ़ाना तथा उन्हें ऋण देने के लिए चुनने में बैंकों और डी.आर.डी.ए. की सहायता करना।
  - इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बैंकों और सरकारी संस्थाओं से निकट संबंध बनाए रखना।

- डी.आर.डी.ए. द्वारा चाहे जाने पर स्वयं सहायता समूहों की ग्रेडिंग के काम में भाग लेना।
- गतिविधि क्षेत्रों (activity clusters) और मुख्य गतिविधियों की पहचान में डी.आर.डी.ए. और बैंकों की सहायता करना तथा स्वरोजगारियों से निरंतर सम्पर्क द्वारा आधारभूत ढांचे की कमियों का पता लगाना और उन कमियों को दूर करने के प्रयास करना।
- कौशल-विकास, तकनीकी सुधार और गुणवत्ता नियन्त्रण के लिए आयोजित प्रशिक्षण में सहायता देना।
- स्वरोजगारियों द्वारा तैयार किए गए माल की बिक्री के लिए बाजार व मण्डियों के विकास के लिए डी.आर.डी.ए. और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर प्रयास करना।
- ब्लाक स्तर की कमेटियों की बैठकों में सदस्य के रूप में भाग लेना।

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

- ❖ 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद, पंचायती राज संस्थाओं को 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों पर आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं बनाने और लागू करने की शक्तियां दी गई हैं। स्थानीय स्वशासन में उनकी इस महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए तथा ग्रामीण जनता के साथ-साथ उनके द्वारा चुने प्रतिनिधियों को एस.जी.एस.वाई. में महत्त्वपूर्ण भागीदारी दी गई है। वस्तुतः इस योजना के लिए जन-समर्थन जुटाने के लिए ऐसा करना अनिवार्य समझा गया है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि ग्रामवासियों को इस योजना के लिए अधिक प्रभावी ढंग से लामबंद कर सकते हैं।

ग्राम पंचायत को नीचे लिखे गए कार्य दिए गए हैं :

- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की पहचान करके ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन के लिए उसकी बैठक बुलाना।
- प्रत्येक वर्ष बी.डी.पी.ओ. और बैंकरों के साथ मिलकर संभावित स्वरोजगारियों की पहचान करना।
- उन स्वरोजगारियों की सूचि ग्राम सभा के समक्ष रखना जिनका ऋण बैंकों द्वारा मंजूर किया गया हो।
- प्रमुख कार्यकलापों के विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करने के लिए एस.जी. एस.वाई. के अधीन/साथ मिलकर राशि का वितरण।
- स्वरोजगारियों के कार्य, विशेषकर उनके द्वारा किस्तों में ऋण-वापसी करने, की देख-रेख।

पंचायत समिति को एस.जी.एस.वाई. लागू करने में दी गई भूमिका

- खण्ड क्षेत्र के लिए 8-10 प्रमुख गतिविधियों की पहचान।
- कार्यक्रमों को लागू करने, विशेष तौर पर वसूलियों के बारे में, ब्लाक स्तरीय एस.जी.एस.वाई. कमेटी को मासिक रिर्पोट भेजना।

जिला परिषद को इस योजना के लागू करने में हरियाणा में कोई स्पष्ट भूमिका नहीं दी गई है। किन्तु जो भूमिका ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति की है वही भूमिका जिला स्तर पर जिला परिषद की होनी चाहिए।

- **यह कहना गलत न होगा कि** हरियाणा में स्वयं सहायता समूहों का गठन एक आन्दोलन का रूप इसलिए धारण नही कर पाया क्योंकि यहां पंचायती राज संस्थाओं की ज्यादा रूचि सामाजिक विकास, आर्थिक न्याय तथा आर्थिक विकास से सम्बंधित विषयों की बजाए गली-नाली बनवाने में अधिक रही है। दूसरी ओर, एस.जी.एस.वाई. के अन्य सहभागी भी विभिन्न कारणों से पंचायतों को साथ लेकर चलने में संकोच करते रहे हैं।

तकनीकी संस्थाओं की भूमिका

- एस.जी.एस.वाई, को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि स्वरोजगारियों की क्षमताओं का विकास किया जाये। इसलिए, हर जिले में विद्यमान इंजीनियरिंग कालेजों, पोलिटेकनीकों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, शोध संस्थानों और प्रशिक्षण संस्थाओं को इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। इनमें निम्नलिखित अधिक महत्वपूर्ण हैं :
    - विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक स्वरोजगारियों की कुशलता के विकास तथा तकनीकों को विकसित करने और उनका स्तर ऊंचा करने के लिए उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना।
    - पहचान की गई गतिविधियों से उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं की गुणवत्ता में विकास, उनकी लागत में किफायत तथा स्वरोजगारियों के श्रम की कठिनाइयों को कम करने के लिए तकनीकी उपायों की खोज।
    - यह ध्यान में रखना कि स्वरोजगारियों को केवल ऐसी प्रौद्योगिकी का चुनाव करना है जिसके लिए सम्बंधित क्षेत्र में बुनियादी सेवाएं व बाजार काफी मात्रा में मौजूद हों।
    - इकाइयों के कार्य की गुणवत्ता की देख-रेख ।

साक्षर महिला समूह (SMS) एक नई शुरूआत

महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का सम्बन्धित वर्ग तक लाभ पहुंचाने एवं प्रचार-प्रसार के लिए कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। परन्तु ऐसी राय है कि सीमित लोगों को दिया गया यह प्रशिक्षण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाया। इन लोगों और महिलाओं के मध्य एक दूरी महसूस की जाती रही है। उपरोक्त समस्या को सरकार ने गंभीरता से लिया और इसके समाधान के लिए 'साक्षर महिला समूह' संगठनों के निमार्ण का निर्णय लिया गया है। इनके अन्तर्गत गांव की ही पढ़ी-लिखी महिलाएं एवं लड़कियां गांव में जागरूकता एवं चेतना फैलाने के लिए कार्य करेंगी।

राष्ट्रीय महिला कोष (RMK) ने इसे पंजीकरण एवं लघु ऋण प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण देने को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक गांव में एक 'साक्षर महिला समूह' (SMS) का गठन किया जाएगा। यह समूह ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर की गठित कमेटियों के कार्यों को क्रियान्वित करवाने में सहायक की भूमिका अदा करेगा। इसे ग्राम स्तर की गैर-सरकारी संगठन (NGO) भी कहा जा सकता है। इस समूह में गांव की सभी दसवीं पास महिलाएं, बारहवीं व इसे ऊपर पढ़ने वाली लड़कियां 'किशोरी शक्ति योजना' के अन्तर्गत बने बालिका मण्डल की सदस्याएं शामिल होंगी। 'साक्षर महिला समूह' की एक 10 सदस्यीय संचालन-कमेटी भी होगी। इसमें गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी पांच महिलाएं एवं उन महिलाओं द्वारा पांच लड़कियों को जो 11वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ रही होंगी, मनोनित किया जाएगा।

अगर किसी गांव में SMS की सदस्य संख्या 25 से कम है तो उस गांव की 8वीं पास महिलाओं को भी सदस्य बनाया जा सकता है। यह समूह गांव में घटते लिंग-अनुपात, साक्षरता दर, सार्वभौमिक, साक्षर महिलाओं एवं लड़कियों का प्रारम्भिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता एवं पर्यावरण इत्यादि मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाएगा। ग्राम सभाओं में ग्रामीणों की भागीदारी को सुनिश्चित करवाने के लिए भी यह चेतना का प्रसार करेंगे।

अध्याय–6

समन्वय व अनुप्रवर्तन (मानिटरिंग)

आवश्यकता

- योजनाओं की सफलतापूर्वक, प्रभावी एवं सुचारू कार्यान्वयन के लिए सभी सहभागी एजेंसियों में घनिष्ठ सम्बन्ध व समन्वय होना आवश्यक है। इसी प्रकार योजना के क्रियान्वयन के सभी पहलुओं का विभिन्न स्तरों पर समय–समय पर समीक्षा व अनुप्रवर्तन (मानिटरिंग) भी आवश्यक है। योजना में इन दोनों के लिए जरूरी दिशा–निर्देश दिए गए हैं व समितियों मंचों का समुचित प्रावधान किया गया है।

समन्वय प्रक्रिया

- जिला ग्रामीण विकास एजेंसी स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों, सम्बद्ध विभागों, बीमा संस्थाओं व गैर–सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी से करती है। इसलिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की सफलता के लिए आवश्यक है कि इन विभिन्न सहभागी संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता व इनमें प्रभावी समन्वय हो। एस. जी. एस. वाई. के समन्वय की जिम्मेदारी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की है।
- एस. जी. एस. वाई. के अन्तर्गत सभी सहभागियों में प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है

अनुप्रवर्तन (मोनीटरिंग)

- ❖ बैंक का कार्य ऋण के वितरण के साथ समाप्त नहीं हो जाता निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बैंकर द्वारा स्वरोजगारियों की परिसम्पत्तियों की प्रगति की निरंतर मोनीटरिंग करना उतना ही जरूरी है :

यह जानने के लिए कि क्या वित्तीय सहायता से खरीदी परिसम्पत्तियां ठीक हैं। और इनका रख–रखाव उचित प्रकार से किया जा रहा है।

यह जानने के लिए कि क्या स्वरोजगारियों को अनुमानित आय हो रही है।

इकाई को सफलता से चलाने के लिए स्वरोजगारियों की समस्याओं, यदि कोई हों, को दूर करना ।

ब्याज, मूलधन आदि की समय पर चुकौती सुनिश्चित करना, जिससे इकाईयों संवितरित ऋण बैंक की गैर–अर्जक परिसम्पतियों (Non-Performing Assets) में न बदल जाए।

मोनीटरिंग कौन करता है?

- ❖ जिला व खण्ड स्तर के अधिकारियों को भी कार्यक्रम की मानीटरिंग करनी चाहिए। अपने निरीक्षण में अधिकारी परिसम्पत्तियों के सत्यापन के साथ-साथ आय-सृजन की दृष्टि से भी स्वरोजगारियों की स्थिति का निरिक्षण करें। यद्यपि ऋणों के अनुप्रवर्तन के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/खंड विकास व पंचायत अधिकारी तथा बैंक संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं, फिर भी बैंकर को अपने हित में ऋण खातों का सावधानी से अनुप्रवर्तन करना चाहिए चूंकि उनका अपना पैसा इसमें शामिल होता है।

मोनीटरिंग कैसे की जाए?

- ❖ इकाइयों का नियमित दौरा कर ऋणों की मोनीटरिंग की जानी चाहिए। इस प्रकार के दौरों की समय-सूचि पूर्व-निर्धारित हो और उसका कड़ाई से पालन हो।
- ❖ स्वरोजगारियों को पासबुक क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध/जारी की जाए जिसमें उन्हें दिए गए ऋणों का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। बैंकों को पासबुक की सभी मदों की नियमित रूप से प्रविष्टि करनी चाहिए।
- ❖ दौरा करने वाले अधिकारियों की टिप्पणी प्रत्येक स्वरोजगारी/स्वयं सहायता समूह को दी गई विकास पत्रिका में लिखी जानी चाहिए। परियोजना की प्रगति का उल्लेख विकास पत्रिका की दो प्रतियों में नियमित रूप से करना चाहिए। इसकी एक प्रति स्वरोजगारी को दी जानी चाहिए और दूसरी खंड मुख्यालय में रखी जानी चाहिए।
- ❖ नियमित रूप से अनुवर्ती दौरे (follow-up visits) और अनुप्रवर्तन (monitoring) के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद सुनिश्चित रूप से आस्तियों की भौतिक जाँच करनी चाहिए।

खण्ड/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के स्तर पर परिमाणात्मक/गुणात्मक मोनीटरिंग

- ❖ कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्वयं सहायता समूहों का सतत मुआयना व पड़ताल करते रहना आवश्यक है। जाँच-पड़ताल के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा जिलों का भ्रमण करके कार्यक्रम का मूल्यांकन करके दिशा निर्देश देने होते है। इसी प्रकार, जिले व खण्ड कार्यक्रम के क्रियान्वचन की दृष्टि से जिला व नीचे स्तर के अधिकारियों के लिए निरीक्षण की संख्या की निम्न सारणी सुझाई गई है :

• जिलाधिकारी/डी.आर.डी.ए. अध्यक्ष	प्रतिमाह	10
• परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए.	प्रतिमाह	20

- परियोजना अधिकारी एवं परियोजना अर्थशास्त्री प्रतिमाह 40
- उपजिलाधिकारी प्रतिमाह 20
- बी. डी. पी. ओ. प्रतिमाह 20
- उप–खण्ड अधिकारी प्रतिमाह 20
    - उपरोक्त निरीक्षण के आधार पर डीआरडीए विस्तृत रिर्पोट तैयार करेगी, इन पर बहस करेगी और आवश्यक हुआ तो उचित कार्यवाही करेगी। लिए गए निर्णयों व मुद्दों पर विस्तृत रिर्पोट राज्य सरकार को भेजेगी। राज्य स्तर की समिति में डीआरडीए द्वारा प्रेषित रिर्पोटों पर चर्चा व समीक्षा होगी।
    - **मासिक प्रगति रिपोर्ट :** इस प्रकार भेजें कि प्रत्येक आने वाले महीने की 20 तारीख तक पहुँच जाए।
    - **वार्षिक प्रगति रिपोर्ट :** महीने की 20 तारीख तक पहुँच जाए । मार्च की मासिक रिपोर्ट वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट मानी जाएगी।

❖ **इन रिर्पोटों में निम्न बातों पर प्रकाश डालना चाहिए :**

- भौतिक व वित्तीय प्रगति
- विभिन्न गतिविधियों के लिए सुविधाओं को उपलब्ध करना व इनका उपयोग करना
- कार्यान्वयन पर सुझावों सहित सामान्य टिप्पणी, यदि कोई हो

मूल्यांकन

❖ कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर समय–समय पर मूल्यांकन आयोजित करे। मूल्यांकन का ब्यौरा अन्य प्रतिष्ठत संस्थाओं व संगठनों को भी दिया जा सकता है ताकि नियमित रूप से (समवर्ती मूल्यांकन) किये जा सके।

❖ इन मूल्यांकन–अध्ययनों से उभरे मुद्दों का गहरा अध्ययन करके कार्यक्रम को अधिक प्रभावी रूप से चलाने के लिए सकारात्मक कार्यवाही हो।

निष्कर्ष

उपरोक्त प्रसंग में यह ध्यान रखना जरूरी है कि आने वाले समय में एस.जी.एस.वाई. का महत्त्व इसलिए बढ़ने वाला है क्योंकि सरकारी रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। दूसरी ओर, कृषि में एक ओर जोतों के घटते हुए आकार के कारण तो दूसरी ओर मशीनों और कम्बाइनों के प्रयोग के कारण श्रम रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। अत: हरियाणा की ग्रामीण जनता को आने वाले समय में जीविका कमाने के लिए स्वरोजगार पर ही अधिक आधारित होना होगा। अत: स्वयं सहायता समूहों को एक ऐसे मजबूत आन्दोलन का रूप देना होगा जिनके सदस्यों में अपेक्षित/आवश्यक क्षमता, दक्षता व उद्यमिता हों। उन्हें आवश्यक आर्थिक सहायता भी बैंक ऋण व सरकारी अनुदान के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है अगर इस योजना की हितभागी संस्थाएं और विभाग एक दूसरे से मिलकर कार्य करें, उनके काम में समुचित तालमेल हो और उनमें आपस में किसी प्रकार का दोहराव अथवा टकराव न हो। इसके साथ ही, इन संस्थाओं पर जरूरी दबाव डालने और उसे बनाए रखने के लिए ग्रामीण जनता, विशेषकर कमजोर वर्गों और महिलाओं, में चेतना विकसित करनी होगी। इस कार्य के लिए सभी को मिलकर सतत, सकारात्मक, समुचित, समूचे और ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष बिन्दु

- ❖ स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त व्यक्तियों को लाभार्थी के स्थान पर स्वरोजगारी कहा जाता है।
- ❖ स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में गरीबी की रेखा से नीचे आनेवाले लोगों के स्वरोजगार के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है।
- ❖ योजना का मूल दृष्टिकोण गरीबों के समूहों, जो स्वयं सहायता समूह कहलाते हैं, की सहायता करना है क्योंकि ऐसे समूहों को किया गया वित्तपोषण व्यक्तियों को किए गए वित्तपोषण से अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है।
- ❖ स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गरीब लोगों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाता है। स्वरोजगारियों की क्षमता का विकास किया जाता है। छोटे उद्यमों की स्थापना के लिए बैंक ऋण, सरकारी अनुदान सहायता, सामूहिक विकास (Cluster Development), बुनियादी सुविधाओं का विकास, विपणन सहायता, आदि, के प्रयास किए जाते हैं।

अध्याय–7

गरीबी हटाने के 7 कदम

राजीव गांधी महिला विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य है, गरीबी हटाना। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें सात सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। सात मुख्य प्रक्रियायें पूरी करनी चाहिएं।

ये प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं:

1. गरीबों की पहचान।
2. गरीबों को संगठित करना।
3. गरीबों की क्षमता बढ़ाने के लिए वातावरण निर्माण करना।
4. गरीबों को पूंजी प्राप्त करने के लिए रास्ता दिखाना।
5. गरीबों को उचित आजीविका चयन के बारे में जानकारी देना।
6. सामाजिक समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना।
7. गरीबों के चारों तरफ सुरक्षा–चक्र का निर्माण करना।

गरीबों की पहचान करना

राजीव गांधी महिला विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी कर करना .... हमारा लक्ष्य कौन है? ''गरीब वर्ग'' –इसलिए हमारा पहला काम यह है गरीबों को पहचानना।

गांव में गरीब, अति गरीब, बेसहारा लोग कौन हैं? वे लोग कहां रहते हैं, उनकी हालत कैसी है, सह सब जानकारियां हमारे पास होनी चाहिएं। ये काम कौन करनेगा? कैसे करेगा? ये सब ग्राम संगठन की जिम्मेदारी है। ग्राम संगठन के पदाधिकारी, ऐनीमेटर, सी.वी., सी.आर.पी., समूह सखी के साथ गांव में घर–घर घूमकर गरीब और अति गरीब की पहचान करनी चाहिए। ये सब जानकारी ग्राम संगठन के कार्यालय में होनी चाहिए।

गरीबों की पहचान हम दो तरीकों से कर सकते हैं:

- सामान्य सवेक्षण द्वारा
- गांव के लोगों की सहभागिता से गरीबों की पहचान करना

गांव के लोगों द्वारा गरीबों की पहचान करना ज्यादा (अच्छा) महत्वपूर्ण है। यह कार्य अच्छी तरह से करने के लिए ग्राम संगठन के पास क्षमता होनी चाहिए। इस विषय में परियोजना में कई सहयोगी हैं।

(क) ग्राम के लोग

(ख) परियोजना अधिकारी, ऐनीमेटर, सी.वी., सी.आर.पी., समूह सखी

इन सभी सहयोगियों का लक्ष्य पर ध्यान और स्पष्टता होना चाहिए, इसलिए इन सभी सहयोगियों को गरीबों की जानकारी होनी चाहिए। अगर ये लोग गरीबों की पहचान नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा, इसको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा।

गरीबों को संगठित करना

प्रकृति में बहुत से जीव एक साथ रहते हैं, क्योकि एकता में मजबूती है। चिडियां एक साथ उड़ती हैं, मछलियां एक साथ तैरती हैं, भेड़ एक साथ चलती है, मधुमक्ख्यिां एक साथ लड़ती हैं और चिटियां एक साथ काम करती हैं। अगर मनुष्यों की बात करते हैं तो अलग-अलग तरह के लोगों की अलग-अलग संस्थाएं हैं। उदाहरण के लए डाक्टर के बारे में डाक्टर यूनियन है। वकीलों के बारे मे वकील यूनियन।

एक डाक्टर के साथ अन्याय होने पर डाक्टरों का संगठन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। एक वकील के साथ अन्याय होने पर भी वकील संगठन आवाज उठाता है। एक कौवे के भी मरने पर हजारों कौवे कांव-कांव करते हुए इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन एक गरीब पर अन्याय होने पर कोई भी सामने आकर मदद नहीं करता हैं, क्योंकि गरीबों का कोई संगठन नहीं है। उनकी आवाज सुनने के लिए कोई मंच नहीं है। गांव में गरीब लोग अकेले-अकेले जीवन व्यवतीत करते हैं, वे एक दूसरे की समस्याओं को न तो समझते हैं और न ही आपसे बांटते हैं। गरीबों में एकता की कमी, समूह गरीबों में एकता लोने के लिए कोशिश करती हैं, गरीबों की आवाज सूनने के लिए मंच बनाने में मदद देती है। परियोजना गरीबों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित कर रही है।

परियोजना एक ग्राम के सभी समूहों को मिलाकर ग्राम संगठन बना रही है। सभी ग्राम संगठनों को मिलाकर ब्लाक में ब्लाक संगठन बना रही है। ये स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और ब्लाक संगठन क्या हैं। ये सब गरीबों के संगठन हैं। यह गरीबों की समस्याओं की पहचान करने के लिए, चर्चा करने के लिए और उन्हें हल करने के लिए मंच है।

परियोजना की सहायता से एनीमेटर, सी.आर.पी., समूह सखी, सी.वी. गरीबों को संगठित करना चाहिए। हम इस संगठन की तुलना एक घर से कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह घर के नींव की तरह है। ग्राम संगठन घर की दीवार जैसा है। अगर दीवारें मजबूत नहीं होंगी तो छत गिर जाएगी। अगर ग्राम संगठन मजबूत नहीं होगा तो ब्लाक संगठन कमजोर हो जायेगा। एक ब्ला संगठन में लगभग 500 (पांच सौ) स्वयं सहायता समूह हैं और इसके माध्यम से 7000 से 8000 गरीब परिवार एक मंच पर आयेंगे। राजीव गांधी महिला विकास परियोजना ने अब तक 16000 हजार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लगभग एक लाख अस्सी हजार गरीब महिलाओं को एक मंच पर लेकर आयी हैं। स्वयं सहायता समूह को माह में चार बैठकों के माध्यम से महिलायें अपनी समस्याओं की पहचान करती हैं, उन पर चर्चा करती हैं और उसका समाधान ढूंढती हैं। वह कौन सी शक्ति है जो लाखों महिलाओं को जोड़े है।

1. एक तरह की समस्याएं
2. एक ही लक्ष्य
3. एक साथ बचत करना
4. लेन-देन के माध्यम से एक-दूसरे की मदद करना
5. बैठक में बैठकर बातचीत करना
6. एक दूसरे का समझना
7. एक दूसरे के लिए त्याग करना
8. एक ही सपने
9. एक मंच बनाकर एक-साथ हक के लिए लड़ना
10. एक साथ बैठकर विकास के लिए प्रणालियां बनाना
11. जिम्मेदारियां बांटना

एक सब संगठन में लोगों को बांधे रखने की शक्ति है। हमारे देश में गरीबों के पास बहुत सीमित संसाधन हैं, उनके साथ एक शक्ति है, वह है उनकी संख्या लेकिन वे बिखरे हुए हैं। राजीव गांधी महिला विकास परियोजना उनको एक जगह संगठित करने की कोशिश कर रही है तोकि उनमें मजबूती आ सके। इस मजबूती के माध्यम से गरीबों की पहचान, सम्मान, मौका और न्याय मिलता है।

गरीबों की क्षमता को बाहर लाने के लिए वातावरण निर्माण करना

यह समाज गरीबों को बोझ समझता है। गरीबों के अन्दर बहुत कौशल और शक्ति है। राजीव गांधी महिला विकास परियोजना समूह, संगठन के माध्यम से गीरबों की शक्ति को बाहर लाने की कोशिश कर रही है। राजीव गांधी महिला विकास परियोजना विश्वास करती है कि:

1. गरीबों के पास ज्ञान, जानकारी है
2. गरीबों के पास अनुभव है
3. गरीब सोच करते हैं
4. खुद प्रणालियां बना सकते हैं
5. स्वयं निर्णय ले सकते हैं
6. एक साथ मिलकर गरीबी हटा सकते हैं
7. वह जानते हैं कि क्या करना है

यह राजीव गांधी महिला विकास परियोजना का विश्वास है। गरीबों के साथ काम करने वाले सब लोगों को यह विश्वास होना चाहिए, ये है सकारात्मक सोच, दुर्भाग्यवश कई लोगों की नकारात्मक सोच है, वह सोचते हैं।

1. गरीब लोग अशिक्षित हैं इसलिए अज्ञानी हैं
2. उनके पास अनुभव नहीं है
3. वे नहीं जानती कि उन्हें क्या चाहिए
4. हमें बताना है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए

गरीबों के चारों तरफ नकारात्मक सोचने वाले ज्यादा लोग होंगे तो उनकी क्षमता को बाहर लाना मुश्किल है। राजीव गांधी महिला विकास परियोजना गरीबों के बारे में सकारात्मक सोच वाले लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए कोशिश करती है और गरीबों के अंदर क्षमता बढ़ाने के लिए वातावरण तैयार करती है। यह वातावरण क्या है एक उदाहरण के द्वारा बताउंगी।

एक ही आम के पेड़ के दो बीज ले लो। एक बीज को अच्छी मिट्टी में डालो और दूसरा बीज पत्थर में डालो। कौन सा बीज पौधे का रूप लेगा? जो बीज अच्छी मिट्टी में बोया गया है वह पौधे का रूप लेगा पत्थर में बोये गये बीज का क्या होगा? वह मुरझा जायेगा।

एक ही पेड़ के बीज हैं? लेकिन इस अन्तर का कारण क्या? अन्तर का कारण वातावरण है। जमीन में बोये जाने वाले बीज को अच्छा वातावरण मिला, पानी, सही तापमान और सुरक्षा मिली, इसलिए वह बीज अंकुरित हुआ। पत्थर में बोये बीज को केवल गर्मी (गरम तापमान) मिला जिससे वह

मुरझा गया। इसी प्रकार सबके अन्दर शक्ति है, क्षमता है उसे बाहर आने के लिए मौका देना चाहिए, अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। गरीबों की क्षमता बाहर लाने के लिए उनको समझाने वाली, प्रेरणा देने वाली, रास्ता दिखाने वाली, सकारात्मक सोचने वाली की संख्या बढ़ाने के लिए गरीबों के चारों तरफ अच्छा वातावरण बनाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया कर रही है।

1. ग्राम संगठन और सी.आर.पी. द्वारा गरीबों को संगठित करना
2. गरीबों के लिए मंच बनाना
3. क्षमता को बढ़ाने के लिए अच्छा प्रशिक्षण देना
4. कदम-कदम पर गरीबों को सहायता देकर आत्मविश्वास पैदा करना
5. गरीबों में नेतृत्व के लक्षण को बढ़ावा
6. परियोजना गरीबों को बाहर जाने का मौका देती है जिससे अच्छी प्रक्रियाएं देखकर गरीबों की क्षमता में वृद्धि हो सके।
7. गरीबों के अन्दर बहुत क्षमता है, परियोजना उसे बाहर लाने का प्रयास कर रही है।

परियोजना निम्नलिखित गतिविधियां कर रही हैः

1. राजीव गांधी महिला विकास परियोजना एकता के महत्व को समझकर गरीब महिलाओं को एक मंच पर लायी है।
2. गरीब महिलाओं को कई प्रकार के प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमताओं को बाहर लाया गया है।
3. बीते समय में बहुत से लोग आये और गरीबों में बहुत से वादे किए, लेकिन ज्यादातर पूरे नहीं हुए, इसलिए गरीब लोगों के मन में समाज के प्रति अविश्वास पैदा हो गया है। गरीब लोग भी अपनी गरीबी दूरे करने के लिए काफी प्रयास किए लेकिन असफल हो गए। इसलिए वह सोचने लगे कि उनके भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता है। उनके दिलों में निराशा की गहरी परत छायी हुई है। राजीव गांधी महिला विकास परियोजना इस निराशा की परत को हटाने के लिए और गरीबों में आशा भाव को लाने के लिए कोशिश करती है। परियोजना में ऐनीमेटर, समूह सखी, सी.आर.पी., सी.वी., फील्ड आफिसर ने सब गरीबों को मिलजुल कर उनको फैसीलिटेशन के द्वारा प्रेरणा दे रहे हैं। वे गरीब लोगों के पास ज्यादा समय रहते हैं, वे गरीबों की बात सुनते हैं। राजीव गांधी महिला विकास परियोजना ने गरीबों को मौका दिया है कि देशभर में जहां (आर्दश रूप में) गरीब लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं, उन्हें देखकर वे सीख सकें और इसके लिए दुनिया

के दरवाजे खुले हैं। जिसमें गरीब लोग देख सकें और सीख सकें। इन सभी प्रक्रियाओं द्वारा गरीबों में निम्नलिखित क्षमता बढ़ रही है:

- बैठक करने की क्षमता
- बचत करने की क्षमता
- समस्याओं की पहचान करने की क्षमता
- योजना बनाने की क्षमता
- समस्याओं को हल करने की क्षमता
- हक के लिए लड़ने की क्षमता
- आजीविका शुरू कर आमदनी बढ़ाने की क्षमता

गरीबों को पूंजी प्राप्त करने का रास्ता दिखाना

चलो ऐसा सोचते हैं कि एक किसान मजदूर किसी जमींदार के यहां काम करता है। वह खेत जोतना, बीज बोना, सिंचाई करना, कटाई करना आदि खेती की सभी प्रकार की विधियां, कौशल या क्षमताएं हैं। लेकिन उसकी क्षमता का पूरा प्रतिफल उसे नहीं मिल रहा है। क्योंकि उसके पास जमीन नहीं है मानों संसाधन नहीं है।

एक आदमी का उदाहरण लेते हैं जो किराना दुकान, कपड़ा दुकान आदि दुकानों पर काम करता है। सभी क्षमतायें हैं। लेकिन ये क्षमतायें उसके अपने विकास के प्रयोग में नहीं आ रही हैं। क्योंकि उसके पास कार्य करने की पूंजी नहीं है और उसकी क्षमता का उपयोग दूसरों के लिए हो रहा है। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि गरीबों के पास केवल क्षमता हो, यह क्षमता प्रयोग में लाकर उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए उनको पूंजी और संसाधन की आवश्यकता है। सामान्यतया गरीबों के पास पूंजी नहीं होती, क्योंकि समाज को गरीबों पर विश्वास नहीं होता इसलिए गरीब पूंजी नहीं प्राप्त कर पाता है। यदि गरीब व्यक्ति बैंक जाता है तो बैंक वाले उससे (गिरवी) गारण्टी मांगते हैं। परियोजना निम्नलिखित प्रक्रिया से गरीब लोगों को पूंजी प्राप्त करने का रास्ता दिखाती है।

1. बचत की आदत बढ़ाकर
2. आदर्श समूह बनाकर
3. आन्तरिक ऋण लेन-देन की क्षमता बढ़ाकर

4. बैंक अधिकारी को समूह की बैठक में बुलाकर समूह की अच्छी प्रक्रिया को दिखाकर उनके मन में विश्वास पैदा करके कि समूह में ऋण लेन-देन की क्षमता है, तब पूंजी प्राप्त करते हैं।
5. सूक्ष्म ऋण योजना बनाने में समूह की मदद करके।
6. ऐनीमेटर, सी.आर.पी., सी.वी., फील्ड आफिसर की मदद से बैंक की लेन-देन की प्रक्रिया को गरीब लोगों को सिखाकर।
7. ग्राम संगठन और ब्लाक संगठन गरीबों को संगठन है, यह संगठन गरीबों को पूंजी प्राप्त कराने में मदद करता है।

गरीबों को उचित आजीविका चयन के बारे में जानकारी देना

कहानी-अनाज की बोरी

एक गांव में एक परिवार था जिसमें पिता और उसके तीन पुत्र थे एक दिन पिता ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूं और में एक वर्ष बाद वापस आऊंगा। तुम लोग घर की देख-भाल करना, मेरे पास तीन बोरी धान है। इसमें से एक-एक बोरी तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसकी सुरक्षा करना तुम्हारा काम है। जब मैं वापिस आऊंगा तब मुझे धान की बोरी वापस करना। तीनों लड़कों ने सिर हिलाकर स्वीकृती दी। किसान ने तीनों लड़कों को एक-एक बोरी धान दिया और तीर्थ यात्रा पर चला गया।

पहला लड़का गैर जिम्मेदार, फिजूलखर्ची और पेटू था। उसने सोचा मेरे पिताजी बूढ़े हो चुके हैं। वह एक वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर गए हैं, हो सकता है कि वह रास्ते में ही मर जायें, कौन एक वर्ष तक इस बोरी को संभालेगा। वह सोचने लगा दिवाली के दिन धान को खर्चकर (खाकर, बेचकर) खाली बोरी फेंक दूंगा।

दूसरा लड़का दब्बू और क्षमता विहिन था। वह अपने पिता से बहुत डरता था, कि अगर बोरी के साथ कुछ नुकसान होगा तो उसके पिता उसे मारेंगे और दिनभर बिना कोई दूसरा कार्य किए बोरी को ही देखता रहता था। रात में बोरी को तकिया की तरह लगाकर सा जाता था। कुछ समय बाद बाहर से बोरी तो सही थी परन्तु अन्दर से धान में कीड़े लग गये थे। इस प्रकार दूसरे लड़के को दिया गया धान भी खराब हो गया।

तीसरा लड़का समझदार था उसने बरसात के दिनों में धान के बीज को बो दिया, 6 माह की फसल के बाद 100 बोरे धान प्राप्त हुए। अगले 6 माह के लिए पुनः बो दिया। जब एक वर्ष बाद उसके पिता लौटे तो घर धान की बोरयों से भरा था। अब सोचो के कौन से लड़के को परिवार का नेतृत्व मिलेगा। निश्चित रूप से तीसरे लड़के को मिलेगा।

दूसरा उदाहरण

एक व्यक्ति रेडीमेड कपड़े बनाने में पूर्णतः दक्ष है। लेकिन उसके चारों तरफ बाजार नहीं है कि उसे बेच सके। क्या कपड़े उसके लिए उचित आजीविका कहेंगे। नहीं क्योंकि कोई आमदनी नहीं आयेगी।

एक व्यक्ति ने बेकरी शुरू किया लेकिन वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता था क्या आप उसे उचित आजीविका कहेंगे, नहीं क्योंकि मालिक कर्मचारी पर निर्भर है, वहां पर धोखा खाने की संभावना है। वह व्यापार हमेशा धोखा देता है जो कर्मचारी पर निर्भर करता है।

परियोजना में उचित आजीविका चयन के लिए सदस्यों को स्वतंत्रता है। सदस्य अपनी योजना खुद बनाते हैं कि उन्हें क्या करना है। इस बारे में परियोजना तरह-तरह की आजीविका पर प्रशिक्षण भी देती है। परन्तु आजीविका का चयन सदस्य को ही करना है।

सामाजिक समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना

गरीबों का विकास सिर्फ पैसों से नहीं हो सकता है, इसके लिए उन्हें समूह एवं ग्राम संगठन के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को दूर करना चाहिए जैसे, जात-पात, भेदभाव, लड़का-लड़की, उंच-नीच, यह सब जब तक खत्म नहीं होगा, गरीबों की उन्नति नहीं हो सकती। साथ ही कुछ बुरी आदतें जैसे-नशाखोरी, महिलाओं को शोषण, बाल-विवाह, बाल मजदूरी जैसी बुराईयां भी समाज से दूर होनी चाहिएं।

गरीबों के चारों तरफ सुरक्षा चक्र का निर्माण करना

समूह से जुड़ने से सदस्यों को सुरक्षा भी मिलती है। यह सुरक्षा कवच सदस्यों के चारों तरफ होना अति आवश्यक है। यदि सुरक्षा कवच नहीं होगा तो गरीब किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के कारण वह फिर से उसी स्थिति में पहुंच सकते हैं। सुरक्षा कवच से मतलब-मानव एवं संपत्ति बीमा अवश्य करना चाहिए।

अध्याय-8

एस. जी. एस. वाई. पर राष्ट्रीय अध्ययनः एक प्रक्रियात्मक अध्ययन

कार्य सारांश

1 अप्रैल 1999 को सम्पूर्ण राष्ट्र में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण निर्धनों को सतत स्व रोजगार मार्ग उपलब्ध कराने के लिए आरम्भ की गई। कार्यक्र का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवार (स्वरोजगारी) को एस.एच.जी. में संगठित करके तथा तकनीकी, मूल और उद्यमशील कौशल के संदर्भ में क्षमता को बढ़ाते हुए निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है जिससे बैंक ऋण तथा सरकारी सब्सिडी द्वारा सूक्ष्म उद्यम/आय सृजन क्रियाक्लाप को बढ़ावा दिया जा सके। 1999 तथा 31 मार्च, 2004 के मध्य एस जी एस वाई के तहत 19 लाख एस एच जी का गठन किया गया। इसमें से 10 लाख एस एच जी ने ग्रेड-I और 5 लाख ने ग्रेड-II पास किया तथा 2 लाख एस एच जी ने आर्थिक क्रियाकलाप आरंभ किया। ग्रेड-II पास करने वाले एस एच जी में आर्थिक क्रियाकलाप आरंभ करने वाले एस एच जी का प्रतिशत 40% है। इसी तरह, सहायता प्राप्त एस एच जी की संख्या इस अवधि में 3.4 लाख से बढ़कर 5.7 लाख हो गई सहायता प्राप्त व्यक्तिगत स्वरोजगारी की संख्या इस अवधि के दौरान 5 लाख से घटकर 3.2 लाख हो गई। कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त अनु जा/ अनु जन समुदाय सदस्य का प्रतिशत 44% से 46% तथा महिलाओं का प्रतिशत 44.6% से 52% हो गया। 1999 तथा मार्च 2004 के मध्य इस कार्यक्रम के लिए 7260 करोड़ रूपए का आबंटन किया गया जिसमें से 5011 करोड़ रू. (69.1) का उपयोग किया गया। उपलब्ध निधि में से उपयोगित प्रतिशत 1999.2000 के 49% से बढ़कर 2003-04 में 86% हो गया। इस अवधि के दौरान प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए निधि उपयोगिता 5% से बढ़कर 4.8% हो गया। ऋण संग्रहण के सम्बन्ध में 1999-2000 में इस कार्यक्रम में 1056 करोड़ रू. उपलब्ध कराए गए थे जो मार्च, 2004 तक बढ़कर 1301 हो गया। ऋण सहायता का प्रतिशत 1999-2000 के 32.96 से बढ़कर 2003-04 में 61 हो गया। समूह दृष्टिकोण पर बढ़ते हुए बल के अनुसार समूह की निवेश सहायता में धीरे-धीरे प्रगति हो रही है।

एस जी एस वाई एक प्रक्रिया उन्मुख कार्यक्रम है इस तथ्य की सराहना करते हुए यह धीरे और निरंतर रूप में वित्तीय और बाजार कार्य के लिए स्वरोजगारियों को तैयार करेगा क्योंकि अभी तक की प्रगति में बेहतरसफलता नहीं मिली। इसी के साथ-साथ जैसा कि राष्ट्र व्यापी निम्नस्तरीय कार्यक्रमों के

सथ सामान्यतौर पर होता है सम्पूर्ण राष्ट्र में एस जी एस वाई का कार्य निष्पादन समान नहीं है। जबकि कुछ राज्यों में यह कार्यक्रम कार्य का विकास, उचित प्रौद्योगिकी सहायता के द्वारा स्वरोजगारियों का उत्पादन पर्याप्त संस्थागत ऋण तथा लाभार्थी में बाजार और उद्यमशील विश्वास जगाने के सम्बन्ध में धीरे-धीरे प्रगति कर रहा है। अन्य राज्यों में इसे अभी अपना स्थान लेना है। इसके अलावा, जिले में भिन्नता पाई जाती है। कुल जिलों/खण्डों में कार्यक्रम मार्गनिर्देशिका और संकल्पना को पूर्ण रूप से समझा जाना है कुछ जिलों में पी आई ए स्थानीय संसाधन और कार्यक्रम निधि प्रशासनिक लोचनीयता तथा स्व-रोजगार मार्ग खोलने के लिए कार्यक्रम के तहत उपलब्ध नीवन कार्यों के विस्तार का उपयोग करते हैं। उनकी सफलता से दूसरों को प्रेरणा मिलती है। परन्तु ऐसे सफल मामलों की संख्या कम है। इस असाधारण सफलता का कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिकारियों की सक्रियता और सफूर्ति तथा स्वरोजगारियों की सक्रिय सहभागिता है। सफलता अभी तक संस्थागत नहीं हुई है।

उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कार्यान्वयन प्रक्रिया में योजना प्रक्रिया तथा अवरोधों की शिनाख्त में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। यह अध्ययन कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन हेतु कुछ नीति सम्बन्धित सुझाव प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता है। विशेष उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. यह अध्ययन करना कि किसी सीमा तक कार्यक्रम के निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार विशेष कर अनु. जा. एवं अनु. जन की व्यवहार्य सूक्ष्म उद्यम द्वारा स्व-रोजगार आरंभ करने में दक्षता निर्माण में सहायता कर सकता है।
2. इस बात की जांच करना कि व्यवहार्य स्व-रोजगार कार्य के विकास में ''क्रियाकलाप समूह'' को कैसे अपनाया गया।
3. लक्षित लाभार्थियों के कौशल स्तर में सुधार हेतु एस जी एस वाई के तहत उपयोग की गई प्रशिक्षण निधि की समीक्षा और विश्लेषण करना।
4. ग्रामीण आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए ''आधारभूत विकास'' के तहत कैसे निधि का उपयोग किया गया जिससे अध्ययन क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम परिप्रेक्ष्य को बढ़ाया जा सके।
5. संस्थागत ऋण और पुनर्भुगतान कार्य निष्पादन की समीक्षा और मूल्यांकन
6. एस एच जी की बाजार क्षमता की समीक्षा और एस जी एस वाई के तहत बाजार सहायता संस्थान

7. इसकी जांच करना कि क्या सामाजिक संग्रहण का प्रभाव एस जी एस वाई लाभार्थी पर हुआ है।
8. एस जी एस वाई लाभार्थियों को प्रौद्योगिकी सहायता देने में अवरोधों की शिनाख्त करना।
9. एस जी एस वाई लाभार्थियों में रोजगार और आय स्तर का मूल्यांकन करना।

क्रियाविधि और सैंपल

हालां यह कार्यक्रम औपचारिक रूप से अप्रैल, 1999 में आरंभ किया गया, परन्तु 2000 से 2002 के मध्य यह विभिन्न राज्यों में विभिन्न समय आरंभ हुआ। अतः हर राज्य में प्रगति की दर समान नहीं है। वर्तमान अध्ययन ने बेहतर कार्य निष्पादन वाले जिले/खंड पर बल दिया। चूंकि यह प्रक्रिया मूल्यांकन/मूल्यांकन अध्ययन है, यह महसूस किया गया कि सैंपल एस एच जी/ स्वरोजगारी को जिले/खंड से लिया जाएगा जहां पर कार्यक्रम का परिणाम बेहतर रहा हे। इस दृष्टिकोण का महत्व यह था कि जहां बीति और कार्यक्रम सहायता प्रोत्साहक था वहां कार्यक्रम के लिए उपलब्ध निधि का स्तर परिणाम के अनुरूप नहीं था। अतः सैम्पल चयन सौद्देश्य नहीं था तथा राष्ट्र में कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं था। अध्ययन का बल इस पर था 1) कार्य समूह की शिनाख्त और विकास 2) ग्रामीण निर्धन विशेषकर अनु. जा. और अनु. जन. जा. परिवार का गठन स्व सहायता समूह में महिलाओं पर बल तथा सुक्ष्म उद्यम द्वारा स्व-रोजगार में उनका क्षमता-निर्माण 3) स्व-रोजगारियों को पश्च और अग्र संयोजन सहायता देना तथा 4) आधारभूत विकास, ऋण, प्रौद्योगिकी विपणन प्रावधान तथा व्यवहार्य एवं सतत सूक्षम उद्यम निर्माण के लिए उद्यमशील क्षमता सहायता द्वारा मुख्य क्रियाकलाप के रूप में सूक्षम उद्यम सुझाव की शिनाचत और विकास।

अतः उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए ऊपरलिखित 13 राज्य 24 जिलों का चयन सैंपल के रूप में किया गया आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के दो जिले तथा मिजोरम और त्रिपुरा के एक जिले का चयन किया। कार्यक्रम के भौतिक और वित्तीय कार्य की स्थिति पर जिला चयन आधारित है। निम्नलिखित सात भिन्नताओं पर विचार अध्ययन के जिलों के चयन के लिए किया गया:

1. एस जी एस वाई में शामिल कुल स्वरोजगारी में से अनु. जा. एवं अनु. जन जाति का प्रतिशत (निर्धनता समूह तक पहुंचने के मानदण्ड)।
2. एस जी एस वाई के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों में से समूह स्वरोजगारियों का प्रतिशत।

3. ग्रेड–I पास करने वाले एस एच जी का प्रतिशत

4. आर्थिक क्रियाकलाप आरंभ करने वले एस एच जी का प्रतिशत

5. आबंटित निधि की उपयोगिता का प्रतिशत

6. प्रति परिवार निवेश (औसत)

ऋण सब्सिडी अनुपात प्रत्येक जिले से तीन कार्य निष्पादन भिन्नता के आधार पर दो खण्ड़ों का चयन किया गया अर्थात ग्रेड–II पास करने वाले एस एच जी की संख्या, आर्थिक क्रियाकलाप करने वाले एस एच जी की संख्या तथा खंड में कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किए गए अनु. जा. एव अनु. जन जाति के सदस्य। 48 खंड़ों में से 30 समूह स्वरोजगारी और व्यक्तिगत स्वरोजगारियों का चयन और साक्षात्कार किया गया (खंड में समूह स्व रोजगारी के अनुपात में व्यक्तिगत स्व रोजगारी)। एस एच जी चयन के लिए खंड के चयन के लिए शामिल Variable को अपनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में से कम से कम दो तथा अधिक तीन समूह उद्यमों का चयन और साक्षात्कार किया गया। निम्नलिखित आधार पर प्रत्येक खंड की तीन ग्राम पंचायतों का चयन किया गया: 1) गांव में स्वरोजगारियों की कुल संख्या में से अनु. जा./ अनु. जन जाति स्वरोजगारियों का प्रतिशत 2) गांव में स्वरोजगारियों की कुल संख्या में से एस एच जी के तहत स्वरोजगारियों की संख्या तथा 3) अनु. जा. तथा अनु. जन जाति के प्रति हजार जनसंख्या में एस एच जी अनु जा. / अनु. जन जाति की संख्या ग्राम पंचायत में से साक्षात्कार के लिए एस एच जी समूह अद्यम और व्यक्तिगत स्व रोजगारी का चयन किया गया। कार्यक्रम कार्यान्वयन में विकास एजेंसियों तथा बैंक कैसे भाग ले रहे हैं इसको समझने के लिए एक बीडीपीओ एक अग्रणी एनजीओ तथा बैंक का एक प्रबंधक जो 48 खंड़ों के कार्यक्रम कार्यान्वयन में शामिल थे का साक्षात्कार आसान प्रश्नावली की सहायता से किया गया। कुल मिलाकर 48 बीडीओ, बैंक के 48 शाखा प्रबंधक 48 खंड पंचायत अध्यक्ष 24 जिला मुख्य बैंक प्रबंधक, 24 परियोजना निवेशक, जिला परिषद के डीआरडीए, सीईओ, 24 जिला परिषद अध्यक्ष तथा 144 सरपंचों का साक्षात्कार एक प्रश्नावली द्वारा खंड स्तर पर किया गया। परियोजना निदेशक, डीआरडीए/सीईओ जिला परिषद के परामर्श से जिला स्तर पर खंड़ों का चयन किया गया। उत्तर पूर्वी राज्यों में जहां पंचायत प्रणाली चालू नहीं थी वही जन प्रतिनिधियों का चयन अनुसूची–IV में प्रस्तुत संवैधानिक प्रणाली के अनुपालन के लिए किया गया।

स्वरोजगारियों का चयन

अध्ययन के दौरान स्व रोजगारियों के चयन के लिए 1997 बीपीएल जनगणना आधार रही। जहां कहीं इस डाटाबेस पर प्रश्न किए गए वहां पंचायत या स्थानीय समुदाय की मंजूरी/पृष्ठांकन से पीआईए

ने स्वरोजगारियों की शिनाख्त और चयन के लिए अद्यतन सूचना का प्रयोग किया हालांकि एसजीएसवाई मार्गनिर्देश के अनुसार ग्राम सभा की उपस्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा स्व-रोजगारियों का चयन होना था परन्तु दल के द्वारा दौरा किए गए 29 प्रतिशत गांवों में ऐसा नहीं हो रहा था। राज्य में स्वरोजगारियों के चयन में ग्राम पंचायत की सहभागिता भिन्न भिन्न है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में दल ने चयन प्रक्रिया में ग्राम पंचायत का पूरा सहयोग पाया। अधिकतर राज्यों में कार्यक्रम को कार्यान्वियन कर रहे ग्राम, खंड और जिला स्तर के अधिकारी विशेषकर वे राज्य जहां एस एच जी का कार्य एस जी एस वाई के साथ लिया गया अर्थात 1999 के पश्चात (जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश) एसएचजी की सही संख्या का पता लगाना मुश्किल था। कुछ पश्चिमी और उत्तरी राज्यों में एसएचजी के गठन की प्रक्रिया 2002 तक धीमी थी। इन राज्यों में 2003 तक संख्या में वृद्धि नहीं हुई। इन राज्यों में एसएचजी विकास के लिए व्यवसायी एनजीओ को पीआईए ने शामिल नहीं किया। उन्हें पर्याप्त संख्या में एस एच जी नहीं मिले और उन्हें समूह की शिनाख्त में गुणवता के साथ समझौता करना पड़ा। इसके अलावा, वे ''लक्ष्य की प्राप्ति के दवात में कार्य'' करते पाए गए। जिस प्रकार एस एच जी का विकास किया गया तथा एसजीएसवाई के लिए स्वरेजगारियों की शिनाख्त की गई उससे बैंक खुश नहीं था। दूसरे शब्दों में ''उतरी राज्यों के अनुक एसएचजी को सदस्यों के बचत लेने देने का हिसाब रखेन की जानकारी नहीं है। तथा विकास कार्यक्रम में किस तरह की सेवा या लाभ उपलब्ध है इसका अंशमात्र भी अनुभव नहीं था। तथा यह मात्र लक्ष्य पूरा करने के लिए संख्या मात्र रह गए। अत: उन्हें स्व-रोजगार के लिए बैंक ऋण लेने की जानकारी नहीं दी। इन राज्यों में एसजीएसवाई के तहत स्वरोजगारियों का चयन आईआरडीपी के तहत चयनित लाभार्थियों की याद दिलाता है।

साक्षारित 70 प्रतिशत लाभार्थियों का मानना है कि दोनो पहलू अर्थात व्यक्तिगत और समूह को एसजीएसवाई के अन्तर्गत खुला रखना होगा। ऋण के पुनर्भुगतान में व्यक्तिगत पहलू से समूह पहलू बेहतर था। नैकरो का मानना है कि समूह सदस्य अगर निजी क्रियाकलाप भी करते है तो व्यक्ति के बदलू समूह को वित्त पोषित करना बेहतर होगा।

निम्नलिखित कारणों के लिए उद्यम को आगे बढ़ाने के समूह दृष्टिकोण अपनाने में कठिनाई थी:

- एसएचजी का संगठन आर्थिक क्रियाकलाप पर आधारित नहीं था। आर्थिक क्रियाकलाप पर प्रशिक्षण का अभिमुखीकरण प्रभावी नहीं था। अत: निर्धन, निरक्षर सदस्य को वाणिज्य आधार पर आय क्रियाकलाप करने में सम्पूर्ण क्षमता नहीं थी।
- वे राज्य जहां एसएचजी अभियान कम लंबा इतिहास है वहां व्यावसायिक संगठन के सभी प्रशिक्षण निवेश ने ग्रामीण निर्धन महिलाओं को एकजुट होकर बचत करके ऋण के नियमित

भुगतान में सहायता की। समूह उद्यम चलाने में प्रशिक्षण निवेश की अनुपस्थिति में सदस्य एकल उद्यम के रूप में कार्य करने में सक्षम नहीं थे।

- कभी कभार कुछ उद्यम जिन्हें समूह क्रियाकलाप के यप में आरंभ किया गया कि एक सदस्य के उद्यम में रूपांतरित किया गया। सदस्यों ने आपस में ही एक या अधिक सदस्यों की शिनाख्त की जो बड़ी जिम्मेवारी के साथ विशिष्ट कार्य कर सकते हैं और अन्य लोग शान्त रहते हैं।
- सेवा श्रेणी में कुछ क्रियाकलाप को समूह क्रियाकलाप के रूप में किया जाता है। इसी तरह कुछ व्यवसाय में व्यक्तिगत प्रबंध सफलता की गारंटी है।

लाईन विभाग की सहभागिता

सभी अध्ययन क्षेत्रों में लाई विभागों का सहयोग कम पाया गया। हालांकि खंड स्तरीय अधिकारी तथा विस्तार कर्मचारियों के पद उपलब्ध थे परंतु अधिकतर पर रिक्त थे। खंड अधिकारी बैठक में उपस्थित हुए और सहायता देने का वादा किया परन्तु वास्तव में अधिक कार्य नहीं किया गया। जिले में पशु पालन मुख्य रूप से बकरी, सुअर पालन तक सीमित था यह स्वरोजगारियों के परम्परागत क्रियाकलाप हैं जिन्होंने यह योजना अपनाई। अतः पशुपालन विभाग से अधिक अपेक्षा नहीं की जा सकती। इससे सही मायने में स्वरोजगारियों का क्षमता विकास नहीं हुआ।

मुख्य क्रियाकलापों की शिनाख्त

अध्ययन दल द्वारा खंड एसजीएसवाई समिति के 90 प्रतिशत से अधिक अध्यक्षों से लिए गए साक्षात्कार से पता चला कि खंड में कोई भी व्यवहार्य कार्य को सहायता माना गया और इससे मुख्य क्रियाकलाप या अन्य क्रियाकलाप में अंतर नजर नहीं आता। खंड या डीआरडीए ने भी अपेक्षित आधारभूत संरचना का सृजन नहीं किया तथा क्रियाकलाप की वयवहार्यता को सुदृढ़ करने के लिए अग और पश्च संयोजना उपलब्ध नहीं कराया। इसके लिए एक उदाहरण डेयरी है जिसके लिए आधारभूत संरचना का प्रारंभिकर स्तर तथा न्यूनतम अग्र और पश्च संयोजन पहले ही खंड में स्थापित किया जा चुका है।

कुछ व्यवसाय जैसे हथकरघा जोकि प्राकृतिक समूह उन्मुख है, एसजीएसवाई के तहत सहायता कम थी। राष्ट्रीय सैम्पल में हथकरघा क्रियाकलाप के अन्तर्गत दो प्रतिशत स्वरोजगारियों को शमिल किया गया। एसजीएसवाई के हथकरघा के कम कवरेज का कारण इस क्रियाकलाप में अधिक निवेश की आवश्यकता थी (प्रति स्वरोजगारी रू. 50,000) जबकि बैंक बीपीएल श्रेणी के स्वरोजगारियों को इतना

अधिक संस्थागत वित्त देने के लिए तैयार नहीं था। बैंक ने बीपीएल परिवारों की ऋण क्षमता को सीमित माना जोकि 20,000-25000 से नहीं हो सकती।

अध्ययन क्षेत्र में मुख्य क्रियाकलाप

समूह स्वरोजगारियों में डेयरी एक प्रचलित क्रियाकलाप के रूप में उभरा। कार्यक्रम के तहत 26 प्रतिशत व्यक्तिगत स्वरोजगारी तथा 36 प्रतिशत समूह स्वरोजगारियों ने यह क्रियाकलाप आरम्भ किया। इसके पश्चात् कृषि, भूमि विकास और सेवा क्षेत्र (10 प्रतिशत) आते हैं। गैर कृषि क्रियाकलाप जैसे हथकरघा, हस्तशिल्प विकल्प में सबसे नीचे आते हैं। इसी तरह, व्यापार अध्ययन भी बहुत कम लोगों (2 प्रतिशत) द्वारा लिए गए। अधिकतर समूह स्वरेजगारी (68 प्रतिशत) ने व्यक्तिगत स्वरोजगारी (51 प्रतिशत) की तुलना में गैर-कृषि क्रियाकलाप को चुना। डेयरी के अधिक विकल्प का विश्लेषण निम्न है।

क्रियाकलाप समूह

बाजार की संरचना और गठन, प्रतियोगिता की व्यापकता, आधारभूत संरचना विकास का स्तर, कच्चे माल का वितरण, प्रोद्योगिकी हस्तांतरण, अग्र और पश्च संयोजन, संसाधन संग्रहण, जनसंख्या की सघनता समूह के मुख्य क्रियाकलाप आरम्भ करने के महत्वपूर्ण कारक हैं। मुख्य क्रियाकलाप के तहत प्रति वर्ष कुछ जिलों का चयन तथा प्रयास करना था ताकि आवश्यक संयोजन किया जा सके। परम्परागत क्रियाकलाप के पश्चात् स्वरोजगारियों द्वारा पसंद किया गया कार्य सेवा उद्यम, छोटा व्यापार, सब्जी/फल बेचना तथा अन्य क्रियाकलाप था जिसके लिए कोई अलग अग्र और पश्च संयोजन आवश्यक नहीं है कुछ स्वरोजगारियों ने बांस का कार्य, खाद्य उत्पाद तथा अन्य कौशल आधारित क्रियाकलाप को अपनाया जहां अलग आधारभूत संरचना संभव नहीं है। राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में एसजीएसवाई कार्यान्वयन एजेंन्सियों ने ग्रामीण हट तथा स्थाई बाजार केन्द्र जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जिसका उपयोग सभी स्वरोजगारी कर सकते हैं।

अधिकतर मामलों में एसजीएसवाई योजना में प्रशिक्षण सामान्य परिचय है। कुछ स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त हुआ जैसे खाता वही कौशल (99 प्रतिशत) व्यक्तिगत स्वरोजगारी और 96 प्रतिशत समूह स्वरोजगारी को यह कौशल प्राप्त नहीं हुआ। जोकि सूक्ष्म उद्यम कार्य के लिए प्रारम्भिक स्तर की आवश्यकता है। स्वरोजगारियों के लिए गए साक्षात्कार से पता चलता है वर्तमान स्तर बहुत कम है।

तकरीबन 62 प्रतिशत व्यक्तिगत स्वरोजगारी तथा 74 प्रतिशत समूह स्वरोजगारी से पता चलता है उन्हें आईजीए के लिए अपेक्षित कौशल प्राप्त है। 54 प्रतिशत व्यक्तिगत तथा 62 प्रतिशत समूह स्वरोजगारी ने एसजीएसवाई के तहत प्रशिक्षण आधारित आईजीए प्राप्त किया हैं इन दो विवरणों से पता चलता है 8 प्रतिशत व्यक्तिगत प्रत्यर्थी और 12 प्रतिशत समूह स्वरोजगारी ने क्रियाकलाप को छोड़कर आईजीए को अपनाया जिसमें प्रशिक्षण किया गया।

औसतन 2283 रू. का ऋण अंतराल पाया गया। वास्तव में जिले में कम वित्तपोषण का मामला फैला हुआ था। असम में 55 प्रतिशत व्यक्तिगत स्वरोजगारी तथा 45 प्रतिशत समूह स्वरोजगारी थे। एसजीएसवाई के तहत राज्यवार तथा क्रियाकलाप वार विश्लेषण से पता चलता है कि अध्ययन क्षेत्र में कुछ हद तक कम वित्त पोषण का मामला था। निर्धारित इकाई लागत से ये निवेश कम थे (6 से 36 प्रतिशत)। समूह स्वरोजगारी के मामले में डेयरी (1 प्रतिशत) मत्स्यपालन (1 प्रतिशत) हथकरघा (3 प्रतिशत) के मामले में स्वयं पूंजी निवेश कम था। व्यक्तिगत स्वरोजगारी सब्सिडी पर कम निर्भर थे और अपने लिए अधिक पूंजी जुटाते थे।

व्यक्तिगत स्वरोजगारी के मामले में, संस्थागत ऋण 50 प्रतिशत तथा 77 प्रतिशत के मध्य था। परियोजना में सब्सिडी का अंश 28 प्रतिशत से 36 प्रतिशत था।

कुल निवेश में संस्थागत ऋण का अंश व्यक्गित स्वरोजगारी में अधिक था (62 प्रतिशत एवं 56 प्रतिशत समूह स्वरोजगारी) समूह स्वरोजगारी में उपलब्ध सब्सिडी अधिक थी (35 प्रतिशत) व्यक्तिगत में 30 प्रतिशत थी। समूह स्वरोजगारी में निवेश का औसत स्तर 23279 एवं व्यक्तिगत मामले में 24864 था।

ऋण-सब्सिडी अनुपात

ऋण सब्सिडी अनुपात एक अच्छा सूचक है जो अनेक वर्गों में अनुपात में कमी आई 1.95: 1 2002-03 से 1.77: 1 2004-05।

पुर्नभुगतान

एसजीएसवाई में पुर्नभुगतान का स्तर आईआरडीपी से बेहतर था। राष्ट्रीय स्तर पर यह 57 प्रतिशत था तथा अनेक वर्षों में इसमें वृद्धि हुई। अध्ययन क्षेत्र में 85 प्रतिशत समूह स्वरोजगारी तथा 73 प्रतिशत व्यक्तिगत स्वरोजगारी ने नियमित भुगतान किया।

युवा समूह की तुलना में पुराने समूह सदस्य का पुर्नभुगतान अधिक था। कुल मिलाकर व्यक्तिगत स्वरोजगारी (74 प्रतिशत) की तुलना में समूह स्वरोजगारी (85 प्रतिशत) में ऋण पुर्नभुगतान दर अधिक थी। क्रियाकलाप वार विश्लेषण से पता चलता है। डोरी जिसे अधिक स्वरोजगारी अपनाते हैं। पुर्नभुगतान दर 80 प्रतिशत से अधिक था। डेयरी स्वरोजगारी का अनुपात अधिक था (32 प्रतिशत व्यक्ति स्वरेजगारी तथा 37 प्रतिशत समूह स्वरोजगारी) तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सैम्पल है जो बेहतर कार्यनिष्पादन जिलों को दर्शाता है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा।

बाजार का स्वरूप हर क्रियाकलाप के लिए भिन्न है। जबकि बाजार आधारित व्यापार जैसे मत्सय पालन और हथकरघा गैर स्थानीय चैनल, उद्यम जैसे ईंट उत्पादन स्थानीय मांग पर आधारित है। डेयरी के मामले में प्राथमिक स्तर पर एकत्र करके इसे बाजारों तक व्यवस्थित रूप में पहुंचाया जाता है। यह कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में डेयरी में ऋण अंतराल कम था।

अधिकतर व्यक्तिगत स्वरोजगारी जिन्होंने कृषि या सम्बद्ध क्रियाकलाप, छोटे व्यापार, सेवा दर्जी तथा ईंट बनाना कार्य आरंभ किया उन्हें गांव या आसपास बाजार नहीं मिला। केवल कुछ स्वरोजगारियों ने अपने उत्पाद बेचे जैसे डेयरी, भेड़, मुर्गीपालन, हथकरघा, चमड़ा तथा अन्य उत्पाद को आसपास के गांव में बेचा। हथकरघा उत्पाद को क्षेत्रीय स्तर पर बेचा गया। समूह स्वरोजगारियों ने भी अपने उत्पाद गांवों में बेचे।

सूक्षम उद्यम कौशल विकास के लिए एसएचजी नेटवर्किंग

विभिन्न उद्यम विकास नीति में एसएचजी की नेटवर्किंग अधिक आशाजनक है। क्रियाकलाप आधारित समूह या संघ उद्यम विकास के लिए लाभकारी है। ये नेटवर्किंग पश्च और अग्र संयोजन निवेश और उत्पाद बाजार में सहायता करते हैं। नेटवर्किंग सदस्यों की समस्या कम करने, सामूहिक और उचित समाधान में सहायता करता है। ऐसी नेटवर्किंग तभी संभव है जब इसे ग्रामीण आधारभूत संरचना जैसे सड़क, टेलीफोन, संग्रहण सुविधा के साथ जोड़ा जाए। इसमें महत्वपूर्ण व्यापार सूचना एकत्र करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों द्वारा एकत्र की गई ईमली को गांव में सप्ताह में एक या दो बार बेचा जाता है। अगर इसे ही साफ और पैक करके बाजार में बेचा जाता तो लाभ अधिक होता (60 प्रतिशत) ऐसे बाजार केवल एसएचजी सदस्यों के साथ नेटवर्किंग से संभव होते हैं। संघ ने स्वरोजगारी को यह शक्ति नहीं दी। अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश के कुछ राज्यों में एसजीएसवाई के तहत सहायता प्राप्त 6 एसएचजी को 60,000 रू. का लाभ हुए।

अध्ययन क्षेत्र में हथकरघा सिले सिलाए वस्त्र वानिकी में अधिक नेटवर्किंग थी। लेकिन नेटवर्किंग कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप में नहीं पाई गई।

अध्ययन क्षेत्र में केवल 23 प्रतिशत ग्राम पंचायत प्रतिनिधि से परार्मश किया गया। प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाया गया एसजीएसवाई निधि का प्रतिशत 1.16 बेतुल (मध्य प्रदेश) 13.61 विरूतनगर (तमिलनाडू) में था। जबकि प्रशिक्षण में प्रति व्यक्ति 5000/- रू. का प्रावधान था परन्तु इस कार्य के लिए डीआरडीए द्वारा व्यय की गई वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कम थी असम में 184 रू. तथा बिहार में 693 रू. थी।

अध्ययन दल ने माना कि आधारभूत आवश्यकता, डिजाईन और प्रस्ताव की शिनाख्त के लिए दो से तीन वर्ष का समय लग जाता है। इस प्रक्रिया को शीघ्र करना होगा। इसमें विलम्ब से एसजीएसवाई के लिए उपयोग की गई राशि बहुत कम थी। महाराष्ट्र यह प्रतिशत बहुत कम था मध्य प्रदेश में 10 प्रतिशत तथा बिहार में 11 प्रतिशत था।

सब्सिडी के लिए व्यय

सब्सिडी ही कार्यक्रम की ओर निर्धनों को आकर्षित एकमात्र करने वाले सहायक कारक हैं। राज्यवार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि समूह स्वरोजगारी निवेश के लिए सब्सिडी पर निर्भर करती है जोकि उड़ीसा में 43 प्रतिशत मध्य प्रदेश में 25 प्रतिशत है जबकि औसत 35 प्रतिशत था। व्यक्तिगत स्वरोजगारियों में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश (32 प्रतिशत) और सबसे कम मध्य प्रदेश 22 प्रतिशत) तथा औसत 30 प्रतिशत था।

आय परक रोजगार और आय

आय परक रोजगार और आय के क्रियाकलाप वार विश्लेषण से पता चलता है कि सेवा उद्यम में व्यक्तिगत स्वरोजगारी को 21 दिन का अतिरिक्त रोजगार और उच्च आय (1173 रू.) प्रतिमाह मिल सकती है। इसके बाद सब्जी और फल बेचने वाले 19 दिन 1170 रू. मसाले तथा हस्तशिल्प का स्थान है। सबसे कम था धोबी (5 दिन और 615 रू.) माई लगाना (6 दिन 600 रू.) भेड़ पालन और नर्सरी (7 दिन 433 रू.)। समूह रोजगारी के संबंध में सुअर पालन में आय परक रोजगार (5 दिन और 2043 रू.) था। जबकि पशुधन विकास में सबसे अधिक (13 श्रम दिन) या इसमें आय (20 रू. प्रति माह) थी। डेयरी में यह आय कम थी (677 रू.) जबकि व्यक्तिगत स्वरोजगारी में यह (873 रू.) है।

निर्धनता पर प्रभाव

कार्यक्रम के सहायता होने पर भी स्वरोजगारी और जोकि सामाजिक समूह निर्धनता रेखा को पार करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर सके। विभिन्न सामाजिक समूहों में उच्च आय परक आय पिछड़े वर्ग में (943 रू.) थी। अन्य वर्ग (672 रू.) अनु. जन. जा. (580 रू.) तथा अनु जाति के (539 रू.) थी। व्यक्तिगत स्वरोजगारियों में आय स्तर अन्य वर्ग में (1872 रू.) और सबसे कम अनु. जाति में (1269 रू.) था।

सुझाव

मुख्य क्रियाकलाप की शिनाख्त और चयन प्रक्रिया परामर्शी थी। जबकि वास्तव में अपनाई गई प्रक्रिया ने विभिन्न पणधारियों की अधिक सहभागिता को सुनिश्चित नहीं किया। मार्गनिर्देश में हर ब्लाक के लिए दिए गए मुख्य क्रियाकलापों में पया चर्चा अनिवार्य नहीं होने चाहिए। क्षेत्र में संसाधन/बाजार सुअवसर के संदर्भ में डीआरडीए द्वारा सही संख्या का चयन किया जा सकता है। जिला स्तर पर लाईन विभागों की सहभागिता कम थी के वह पशु पालन, डेयरी विकास निगम को छोड़कर/अत: सभी अन्य लाईन विभागों की सहभागिता को विकास योजना जैसे प्रशिक्षण विस्तार, तकनीकी निवेश आदि को एसजीएसवाई योजना से जोड़ना होगा।

मुख्य क्रियाकलाप की शिनाख्त में बैंक मैनेजर को शामिल करने का मुख्य अवरोध ग्रामीण क्षेत्र में अर्पयाप्त स्टाफ के कारण समय की उपलब्धता थी। ऐसे मामलों में बैंक को अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।

अधिकतर जिलों में स्वरोजगारियों के लिए शिनाख्त किए गए मुख्य क्रियाकलाप की मार्गनिर्देशों के अनुरूप नहीं थी। समूह आधार पर मुख्य क्रियाकलाप करने का शायद ही कोई प्रयास किया गया हो। परियोजना प्रतिपादन और मूल्यांकन के लिए जिला लाईन विभाग के साथ विशेषकों की सेवा लेनी होगी।

कम साक्षरता और कौशल के कारण स्वरोजगारियों ने परंपरागत क्रियाकलाप को प्राथमिकता दी, प्रशिक्षण पद्धति पर बल क्षेत्र/प्रदर्शन दौरे या प्रदर्शन द्वारा कार्य प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। अत: स्वरोजगारियों की क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण माडयूल तैयार किया जाना चाहिए। 40 प्रतिशत से अधिक स्वरोजगारियों ने निधि को अन्य क्रियाकलापों में लगाया ताकि जिसके लिए उनकी शिनाख्त की गई। स्वरोजगारियों की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निधि उपयोग की प्रभाविता सुनिश्चित करने के लिए स्वरोजगारियों के कार्य का प्रशिक्षण की आवश्यकता शिनाख्त और वित्त का पता लगाना।

राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्य जहां एसजीएसवाई के प्रारंभ के पश्चात एसएचजी का गठन आरंभ हुआ परन्तु इसमें बैंकर शामिल नहीं थे। इन राज्यों में बैंक स्टाफ को जानकारी देना ताकि एसएचजी वित्त को व्यवहार्य बैंकिंग बनाया जा सके। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बैंक में सिंडिकेट/केनरा/आन्ध्रा बैंक का अध्ययन करेंगे जिन्होंने रूदसेती के गठन में सहायता की।

यह देखा गया कि बैंक मैनेजर ऋण के लेन देन में 3 वर्ष की लाक इन अवधि को नहीं अपना रहे थे जोकि उन राज्यों में प्रचलित है जहां ऋण-सब्सिडी अनुपात कम है।

विभिन्न व्यापारों के ऋण अन्राल भिन्न है जैसे मैटलजैली में 6 प्रतिशत बुक बाइडिंग 36 प्रतिशत था। अधिकतर इसे स्वरोजगारियों के स्त्रोत से पूरा किया जाता है। इसलिए इस संबंध में बैंकर को परियोजना लागत के आधार पर ऋण देने की जानकारी होनी चाहिए जिससे स्वरोजगारी अपेक्षित निवेश के साथ बैठक में बिना कठिनाई के क्रियाकलाप आरंभ कर सके।

बैंकर मुख्य रूप से पुर्नभुगतान काग्र पर निर्भर थे न कि स्वरोजगारी परियोजना के विकास और विविधता में कम सहभागिता के कारण बैंकर स्वरोजगारियों की बढ़ती ऋण आवश्यकताओं का महत्व नहीं समझ सके। कभी-कभार बैंक अनेक बार ऋण देने के लिए आगे आए।

स्वरोजगारी अतिरिक्त ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन भी नहीं जुटा पाए। चूंकि आईआरडीपी की तुलना में एसजीएसवाई का पुर्नभुगतान बेहतर था इसलिए बैंको को स्वयं को स्वरोजगारियों की ऋण आवश्यकता में शामिल होना पड़ेगा।

अध्ययन दल द्वारा यह देखा गया कि आईजीए का वित्तपोषण और वास्तविक आईजीए के मध्य अन्तर पाया गया। परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई यूनिट की लागत का मूल्यांकन किया गया प्रशिक्षण दिया गया तथा अंत में इस क्रियाकलाप के लिए एसजीएसवाई के तहत वित्तपोषित हेतु मंजूरी दी जाती है। स्वरोजगारियों ने अपने क्रियाकलाप छोड़कर दूसरे अपनाए। उदाहरण के लिए राजस्थान में 558 स्वरोजगारियों को वित्तपोषित किया गया लेकिन केवल 69 प्रतिशत ने डेयरी को चुना और 31 प्रतिशत ने अन्य क्रियाकलाप को चुना। ऐसा झारखण्ड, तमिलनाडू और आन्ध्र प्रदेश में भी हुआ। राजस्थान में 52 प्रतिशत स्वरोजगारियों ने एसजीएसवाई निधि का उपयोग अन्य क्रियाकलाप में किया। यह आन्ध्र प्रदेश में कम (23 प्रतिशत) था। अत: यह सुझाव दिया गया कि पीआईए और बैंकर को स्वरोजगारी का आईजीए विकल्प पर ध्यान देना होगा और साथ ही साथ प्रचलन स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वियन की मानिटरिंग भी करनी होगी ताकि स्वरोजगारी वे कार्य कर सके जिसके आधारभूत संरचना विकास, प्रशिक्षण और परियोजना मूल्यांकन किया गया।

स्वरोजगार परियोजना की सफलता उत्पाद/सेवा की बाजार स्वीकृति पर निर्भर करती है। इसे ध्यान में रखते हुए एसजीएसवाई मार्गनिर्देश तैयार किए गए। अधिकतर जिलों में डीआरडीए जोकि पीआईए है ने अपेक्षित बाजार सर्वेक्षण नहीं किए गए। अधिकतर जिलों में डीआरडीए जोकि पीआईए है ने अपेक्षित बाजार सर्वेक्षण नहीं किया। हालांकि इसके आधार पर ही मुख्य क्रियाकलाप की शिनाख्त की जानी थी। अधिकतर डीआरडीए में लोगों की कमी से कार्य नहीं किया जा सका। डीआरडीए को संवेधित लाईन विभाग जैसे कृषि, मतस्य पालन, रेशम कीट पालन, लघु सिंचाई, जिला उद्योग केन्द्र, जनजातीय कल्याण विभाग, हथकरघा के वीआईबी से सहभागिता आमंत्रित करनी चाहिए। जहां कहीं ये संसाधन कम है वहां डीआरडीए को व्यवसाय तकनीकी परामर्शी संगठन को जन क्षेत्र या निजी क्षेत्र एपीटको, झटकार मिटकॉन में लगाना चाहिए। मार्गनिर्देश के अनुसार बाजार अनुसंधान के लिए इन व्यवसायियों की सेवा के लिए निधि (5 लाख वार्षिक) का उपयोग किया जा सकता है।

एसजीएसवाई परियोजना को बाजार स्वीकृती के आधार पर तीन समूहों में बांटा जा सकता है। डेयरी के लिए एक सुव्यवस्थ्ति बाजार है। इन उत्पादों के लिए बाजार सहायता को शीत भंडारण, बल्क कूलर, शीत प्लान्ट आदि के रूप में होना चाहिए इस संबंध में डीआरडीए ने सफलतापूर्वक वर्तमान आधारभूत संरचना का उपयोग किया है।

अध्ययन दल ने माना कि सुदुर क्षेत्रों में स्वरोजगारी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसे संरचना विकास की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए स्कीम के तहत आधारभूत विकास निधि का उपयोग किया जाना चाहिए। कुछ जिलों में स्वरोजगारियों को नवीन उत्पाद जैसे औषधीय सुगंधित तथा बागवानी उत्पाद के लिए प्रोत्साहित किया गया। अध्ययन के समय स्वरोजगारी विपणन के लिए निजी विचौलियों पर निर्भर थे। तेल, टमाटर, आलू और ब्रायलर मुर्गीपालन के मामले में कान्ट्रैक्टर खेती सफल रही। ब्रान्ड और गुणवत्ता आश्वासन कम था। अधिकतर स्वरोजगारी स्वयं ही उत्पाद को बेचते हैं।

अध्याय–9

नवोन्मेषी/एसजीएसवाई के अन्तर्गत प्रोत्साहित गैर–पारंपरिक लघु उद्यमः एक निर्देशी सूची उत्पादन

उत्पादन	क्षेत्र/जिला	प्रारंभिक क्षमता	सफलता के मुख्य कारण
इमली एवं शहद का संसाधन एवं संग्रहण (डाबर विप्रो हेतु)	उड़ीसा के केबीके जिले	कटोर गुणवत्ता निरीक्षण	वैयक्तिक उत्पाद लेखा, पारदर्शी हिसाब–किताब
इंदिरा आवास योजना मकानों, शौचालय, ग्रामों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण	केरल में पालघाट एवं त्रिचूर	उच्च स्तरीय विशेषज्ञ क्षमता	राज्य सरकार द्वारा पहलः कटोर गुणवत्ता निरीक्षण
टाईटन के लिए घड़ियों का संयोजन	हासूर तमिलनाडू	गुणवत्ता की सख्त निरीक्षण	एमवाईआरए, एनजीओ एवं राज्य सरकार द्वारा अनुकूल पहले, वितरण अनुसूची का समर्थन
टीवीएस, टाटा, अशोक लैलांड आदि के कर्मचारियों के लए चपातियां बनाना	हासूर तमिलनाडू	कठोर स्वच्छता मानक	एमवाईआरए, एनजीओ एवं राज्य सरकार द्वारा अनुकूल पहले, वितरण अनुसूची का समर्थन
येविन डेरी के उपयोग हेतु कपों का उत्पादन	कोयम्बटूर तमिलनाडू	गुणवत्ता	डीआरडीए कोयम्बटूर द्वारा अनुकूल पहल
खनन, खादान कार्य	पुडुकोरटाई, तमिलनाडू	उद्यमशील कौशल	राज्य सरकार द्वारा pro नीति
सैनिटरी नैपकिनों की उत्पादन	अयोध्यापुरम, सेलम तमिलनाडू	विपणन कौशल	स्ख्य गुणवत्ता निरीक्षणः डीएफडीए द्वारा बाजार

			विश्लेषण एवं मूल्य निर्धारण
खनिज जल	वल्लनदुरै ग्राम विपणन, पंचायत, मेट्टुपालयन कोयम्बटूर विपणन तमिलनाडू	विपणन	संघशासन में 5 एसएच का गठन, बृहत बैंक ऋण हेतु समूह का एकीकरण
नई दिल्ली, मुबंई बंगलोर आदि में त्रैमासिक सीमावर्ती बाजार हेतु पहाड़ी घास से बने झाडू का उत्पादन	बोलंगिर, उडीसा	प्रशिक्षण के जरिए गुणवत्ता, समूह पर केन्द्रित प्रभाव	बाजार सर्वेक्षण से मूल्य निर्धारण उत्पाद की गुणवता में सुधारना, ओरमास, उडीसा ग्रा.वि. विभाग द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण एवं उत्पादन सुधार हेतु आधारभूत संरचना समर्थन
पत्ते के कप बनाना	बोलंगिर, उडीसा	प्रशिक्षण के जरिए गुणवत्ता, समूह पर केन्द्रित प्रभाव	बाजार सर्वेक्षण से मूल्य निर्धारण उत्पाद की गुणवता में सुधारना, ओरमास, उडीसा ग्रा.वि. विभाग द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण एवं उत्पादन सुधार हेतु आधारभूत संरचना समर्थन
प्याज को खराब होने से बचाना	बोलंगिर, उडीसा	प्रशिक्षण के जरिए गुणवत्ता, समूह पर केन्द्रित प्रभाव	बाजार सर्वेक्षण से मूल्य निर्धारण उत्पाद की गुणवता में सुधारना, ओरमास, उडीसा ग्रा.वि. विभाग द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण एवं उत्पादन

			सुधार हेतु आधारभूत संरचना समर्थन
अरहर दाल की खेती	बोलंगिर, उडीसा	प्रशिक्षण के जरिए गुणवत्ता, समूह पर केन्द्रित प्रभाव	बाजार सर्वेक्षण से मूल्य निर्धारण उत्पाद की गुणवता में सुधारना, ओरमास, उडीसा ग्रा.वि. विभाग द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण एवं उत्पादन सुधार हेतु आधारभूत संरचना समर्थन
निगमीत ब्रांड (सुगुना) के लिए ब्राइलर (निविदा पर उत्पादन)	कंचीफुमु तमिलनाडू	आपूर्ति युक्त एकीकरण	लागत में कमी, नेटवर्किंगवितरण अनुसूची की सुनिश्चितता
वनस्पति की खेती, आलू, पतागोभी, फूलगोभी, बैंगन, टमाटर आदि (पूर्व में सब्जियों का आयात से होता था)	अरूणाचल प्रदेश का नीचला सुबानसिरी जिला	शीत भंडारण सब्सिडी प्राप्त भंडारण परिवहन	डीआरडीए द्वारा बाजार सर्वेक्षण
कच्चा हस्तशिल्प, भारत कुंचन बर्तन कपड़े जिस पर पशु डिजाईन, चितल, मोर, ऊँट	बांसवाड़ा, सूरत सबरकांता	ग्रामीण मेला मंदिर समुदाय त्योहार	ग्रा. वि. विभाग द्वारा बाजार सवेक्षण एवं खबर
शरबत, जैम, शहद, मैरी	अलप्पुला केरल	आम संसाधन बाजार केन्द्र नगरी बाजार स्थान के लिए सुविधा	बाजार सर्वेक्षण, ग्राम विकास विभाग
डेरी उत्पाद एवं	मुजफ्फरपुर बिहार	डेरी पाऊडर में	बाजार सर्वेक्षण

संसाधान		संसाधन	
चमड़े के जूते	आगरा, यू.पी.	गुणवत्ता सूचना एवं मानकीकरण हेतु प्रशिक्षण, तमिलनाडू में दूरस्त बाजारों के लिए बिक्री	तमिलनाडू में निजी खरीददारों के साथ सम्बन्ध
बागवानी	बुन्देलखण्ड उ.प्र. /मंडला, हमीरपुर उतर प्रदेश	रेती, छोटे कंकड	ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रोद्योगिकी की समर्थन
ज्वारर, बाजरा	बुन्देलखण्ड उ.प्र. /मंडला, हमीरपुर उतर प्रदेश	150 फुट गहराई से पानी निकालने के लिए टयूबवेल जिले बैलो से चला	जहां बिजली उपलब्ध नहीं है वहां पर प्रौद्योगिकी इंटरनेट
टमाटर, बीन्स जैसे सब्जियों की जैव कृषि	पाड़ी, उत्तराखण्ड	खेती स्तर से संग्रहण, जिसे मदर डेरी के साथ एकीकृत करना, रिलायन्स फ्रेश, आजद बाजार, दिल्ली	आम ब्रांड उत्तरा बाजार मूल्य सूचना संग्रहण एवं आदान प्रदान
फूलमाला: क्लीरा जिका प्रयोग विवाह आदि में होता है	होसियारपुर, पंजाब	बाजार सूचना, संग्रहण एवं आदान प्रदान	डीआरडीए द्वारा बाजार सर्वेक्षण
डेरी संसाधन	अमृतसर, पंजाब	चीज, पनीर, लस्सी में संसाधन	उच्च गुणवत्ता वाले, डीआरडीए सर्वेक्षण
एमएसपी योजना के अन्तर्गत मकई की प्राप्ति	करीम नगर, आन्ध्र प्रदेश	पारदर्शिता: बही खाता डिजिटल माइश्चर मीटर के उपयोग का कौशल	राज्य सरकार द्वारा पहल अनुकूल

एमपीजी का फुटकर बिक्री (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम हेतु)	बादरक, उडीसा	सुरक्षा का स्तर: बही खाता रखने की कौशल	राज्य सरकार द्वारा पहल अनूकूल
पीडीएस निकास का प्रचलन	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू एवं महाराष्ट्र	पारदर्शिता: बही खाता रखने की कौशल	राज्य सरकार द्वारा पहल अनूकूल
चल कैन्टीन	धर्मपुरी तमिलनाडू	भोजन प्रबंध कौशल	एसएचजी हेतु सरकारी दफ्तरों के समीप व्यापार परिक्षेत्र शिनाख्त करने में व सुविधा प्रदान करने में डीआरडीए द्वारा पूर्वोपाय पहल
थोक में साडियों की खरीददारी एवं संग्रहण 2000 एसएचजी X 2 खंड़ों में 10 सदस्य-40,000 साडियां रू. 100 में-40 रू.	शिवगंगी तमिलनाडू (एसएचजी सदस्य श्रीमति करूपाई का सुझाव)	सदस्यों ने केवल एसएचजी से ही साडियां खरीदने का निश्चय किया थोक बाजारों से साडियों की खरीद मूल्य में 5 प्रतिशत कटौती	
खनिज जल	मुलसी खंड, पुणे	बस स्टेंड में दुकान लगाने के लिए नगर पालिका से अनुमति प्राप्त की	गोमुख (एनजीओ) के साथ एसजीएसवाई विशेष परियोजना रू. 10 लाख के गठबंधन से सामान्य सूचना
पर्यावरण पर्यटन	जलपायगुरी एवं कच्छ बिहार, प. बंगाल	ग्राम पंचायत+एसएचजी से पर्यावरण पर्यटन का आयोजन, एसएचजी परिसंघ का गठन, एवं प्रशिक्षित करना	डीआरडीए द्वारा बाजार सर्वेक्षण

कुकरमुत्ता खेती	मोट्टी खंड, पंचकर्मा जिला	सभी होटलों की आपूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करना	प्रशिक्षण
कोकुम सिरप	दक्षिण गोआ	नेटवर्क–विपणन	डीआरडीए द्वारा कौशल उन्नयन की व्यवस्था
मुर्गी पालन	बारही खंड, हजारीबाग, झारखंड	उधार, प्रोद्योगिकी, आधारभूत संरचना	प्रधान द्वारा पहल
जैविक ईंधन संयंत्र हेतु नर्सरी	जेटरोपा पोरगेमिका पौधा लगाना, पोषण करने देखभाल करने हेतु 4 वर्ष का ठेका	प्रत्यक्ष भुगतान	जिला कलक्टर, चित्रदुर्गा, कर्नाटक द्वारा पहल अनुकूल
सेवा उद्यम			
निजी बीमा कंपनियों के लिए बीमा प्रीमियम का संग्रहण	विजयनगर, आन्ध्र प्रदेश	न्यास खाता बही कौशल	डीआरडीए द्वारा अनुकूल पहल
नगर सडक सफाई	कोयम्बटूर, तमिलनाडू	गुणवत्ताः निगरानी, प्रत्येक सदस्यों का सहयोग	डीआरडीए द्वारा अनुकूल पहल
गैस से उत्पादित बिजली की सहायता से ग्रामीण के लिए पेयजल आपूर्ति	ओडुंदरै, ग्राम कोयम्बटूर, तमिलनाडू	यांत्रिक कौशल, हिसाब–किताब में सख्त गुणवत्ता	राज्य सरकार द्वारा पहल अनूकूल
दूध के लिए बड़े शीतकों का रखरखाव (एपीडीडीसी फेडरेशन हेतु)	आन्ध्र प्रदेश	तकनीकी कौशल, पारदर्शिता एवं हिसाब–किताब	राज्य सरकार द्वारा अनूकूल पहल

बिजली लांड्री	सेलम, त ना	सख्त गुणवत्ता नियंत्रण	भूमि/व्यापार परिसर को सुसाध्य बनाना: बिजली एवं जल स्त्रोत: संस्थागत बाजारों की शिनाख्त करने में डीआरडीए द्वारा निभाई गई भूमिका
होगनिकल जलप्रपात पर पर्यटन रिसार्ट में गृह व्यवस्था	होगनेकल, धर्मपुरि, जिला तमिलनाडू	गृह व्यवस्था कौशल	एसएनजी को अवसर प्रदान करने के लिए एवं शिनाख्त करने के लिए डीआरडीए द्वारा अनुकूल: बैंक ऋण द्वारा जमानती राशि
गाड़ियों पार्किंग के लिए स्थान मंदिर, सरकारी कार्यालय परिसर आदि में द्विचक्रवाहन मोटर साईकल के लिए स्थान	महादेवपुर, कोयम्बटूर तमिलनाडू	सरल व्यापार कौशल	एसएनजी को अवसर प्रदान करने के लिए एवं शिनाख्त करने के लिए डीआरडीए द्वारा अनुकूल: बैंक ऋण द्वारा जमानती राशि
कोरियर सेवाएं	कोयम्बटूर नगर तमिलनाडू	गुणवत्ता दान सेवाएं	राज्य सरकार द्वारा अनूकूल पहल
निगम क्षेत्रों के लिए बीपीओ रोजगार	कृष्णगिरी, तमिलनाडू	अन्य एसएचजी के साथ नेटवर्किंग	आरंभ के आधारभूत संरचना स्तर में निवेश हेतु डाटा प्रविष्टि के लिए तथा उनके बच्चों एवं एसएचजी सदस्यों की प्रशिक्षण निर्माण कम्पयूटर पद्धति, दूरसंचार पद्धति, प्रशिक्षकों की तैनाती,

			ग्राहकों की शिनाख्तता
निगम क्षेत्र में रोजगार	होसूर, तमिलनाडू	न्यूनतम	मिराडा द्वारा नवीन पहल पहचान, मूल्यनिर्धारण एवं सेवा क्षेत्र अधिकतर निगम उद्यमों के लिए रोजगार-एसएचजी सदस्यों के लिए सृजित है में लघु उद्यमों की निर्माण के लिए एकमात्र परामर्शी संगठन है, द्वारा एक नवोन्मेषी प्रारंभ कार्य आबंटन, परामर्शी संगठन से एसएचजी के महिला सदस्यों से उपदान एवं हितकारी निधि का संग्रहण
साईकिल पार्किंग, वार्षिक संविदा	तिरूनावेली, तमिलनाडू	पेशगी निधि की व्यवस्था	पूर्व ऋण पर सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का प्रयोग

अध्याय–10

उद्योग चुनने के लिए क्या करें?

स्व–रोजगार, या स्वतः रोजगार योजना, ऐसा अवसर है जिसमें आपको जल्द से जल्द उद्योगपति बनने का अवसर मिल सकता है।

आज की युवा पीढ़ी, पढ़–लिखकर जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाना चाहती है। समाज की बढ़ती हुई दैनि आवश्यकताएं, संयुक्त परिवार की टूटती हुई व्यवस्था आज हर नौजवान को मजबूर कर चुकी है कि वह खुद जल्दी से जल्दी आय के साधन खोजे। अब से छः–सात दशक पहले तक परिवार का एक व्यक्ति कमाता था, परिवार के चार–छः मेम्बर खाते थे, गुजारा करते थे। संयुक्त व्यापार हुआ करता था, जवान होते ही बच्चे का विवाह करके बहू घर में लायी जाती थी। बहू और बेटे दोनों की तथा उनकी होने वाले औलाद के पालन–पोषण की जिम्मेदारी मां–बाप सम्भालते थे। अब परिवार के सभी सदस्य कमाएं तभी गुजारा होता है। आज बच्चे के विवाह से पूर्व उसकी नौकरी, काम–काज, धंधे की बात सोची जाती है। समाज का आम चलन हो चुका है विवाह के बाद कुछ दिन बेटा मां–बाप के साथ रहा, फिर अलग हो गया। वह अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद निर्वाह करने का हौसला करता है।

समाज के इस परिवेश में, आज निरक्षरता का प्रतिशत लगातार घट रहा है। केन्द्र और प्रदेश सरकार देश और सूबे में शत–प्रतिशत साक्षर बनोन के प्रयास में लगी हुई है। विकास की अवस्था में आज ज्यादा से ज्यादा हाई स्कूल, इण्टर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। यदि पढ़ाई–लिखाई में विशष स्थान नहीं बना पाता तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के पश्चात अधिकांश नौजवान को बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ता है। सरकार के पास नौकरी एक है आवेदनकर्ता हजार है। इस सूरत में नौ सौ नब्बे लोगों को निराशा का सामना करना ही पड़ेगा। नौकरी में कोई एक ही तो लगेगा, शेष नौ सौ निन्यानवे बेरोजगारी के रास्ते पर खड़े होंगे।

बेरोजगारी की अवस्था में पढ़े–लिखे युवकों में कुण्ठा व्याप्त हो जाती है। वे अपने जीवन को पढ़ाई–लिखाई को व्यर्थ समझने लगते हैं।

यह कुछ वर्ष पूर्व की स्थितियां हैं। अब परिस्थितियां बदल गयी हैं। अब यह बात समझ में आने लगी है कि पढ़ाई-लिखाई, डिग्री लेने का उद्देश्य मात्र नौकरी हासिल करना नहीं होता, बल्कि इसके पीछे व्यक्ति और समाज की सोच का ढांचा बदलना होता है।

बढ़ती बेरोजगारी की समस्य से निपटने, बेरोजगार युवा-युवतियों को बेरोजगारी से बचाने (चाहे वे ज्यादा पढ़े-लिखे हों या कम) सरकार ने स्वत: रोजगार योजना चलाई है, जिसके आशातीत परिणाम सामने आ रहे हैं। हजारों-लाखों, इससे भी कहीं ज्यादा संख्या में नौजवानों ने अपने रोजगार अपनाकर स्वावलम्बी होने की दिशा में कदम बढ़ाया है तथा अपने कार्य-व्यवसाय के साथ अन्य बेरोजगारों को लगाकर उनकी बेरोजगारी दूर की है।

स्वत: रोजगार योजना क्या है, उसके नियम, साधन क्या हैं? इसकी जानकारी अगले पृष्ठों में सविस्तार दी जा रही है, अभी यह विषय आपके सामने है कि अपना रोजगार चुनने के लिए क्या करें? इसके लिए प्रमुख बात तो यह है कि आपको यदि नौकरी नहीं मिल पा रही है तो उसके पीछे भागना छोड़कर अपने मन में आत्मविश्वास जगाएं कि आप अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं। यदि आपके पास बड़ी पूंजी नहीं है तो छोटी-से-छोटी पूंजी से भी इसे शुरू कर सकते हैं। आपकी छोटी से छोटी पूंजी के साथ सरकार की योजनाएं साथ देने को तैयार हैं।

यदि कोई युवक अपनी शिक्षा समाप्ति के तुरन्त बाद कोई व्यापार अथवा उद्योग स्थापित कर लेता है और सच्ची लगन, ईमानदारी और परिश्रम से कार्य करता है तो वह 2-4 वर्षों में न केवल खुद अच्छा-खास कमाने लायक हो जाता है, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने की स्थिति में पहुंच जाता है।

पिछला एक दशक सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तनों का रक्षक रहा है। आज न केवल विकसित देश, बल्कि विकासशील देश भी अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करके औद्योगिक उत्थान हेतु नई-नई योजनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में भारतवर्ष में भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। जैसे-जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना आदि।

व्यवसाय शुरू करने से पूर्व आप इस बात को सोचकर मत घबराएं कि वह चला पाएगा या नहीं। आप उस कार्य अनुभव उठाइए, माल की तैयारी और बाजार की खपत पर ध्यान लगाइए और लगन के साथ जुट जाइए।

तैयारी और बाजार की जब हम बात करते हैं तो उसका आशय यह होता है कि जो व्यवसाय अथवा उद्योग आप करने जा रहे हैं, उससे पहले यह जान लें कि वह उद्योग या व्यवसाय करने वाले आपके निकटवर्ती क्षेत्र में और कितने लोग हैं? उनकी स्थिति क्या है? यदि कोई बहुत अच्छा चल रहा

है तो उसकी सफलता के पीछे क्या कारण हैं? यदि किसी की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसका क्या कारण है?

एक सफल व्यवसायी या उद्यमी में निम्नलिखित गुण हो सकते है:

सभ्य एवं सुसंस्कृत व्यवहार-जिनके बीच आपको व्यापार करना है, माल खरीदना और उत्पादन बेचना है उनके बीच सभ्य, सुसंस्कृत और शालीन व्यवहार करना अच्छे व्यवसायी या उद्यमी का सर्वश्रेष्ठ गुण है। यदि आपका व्यवहार अशिष्ट है, नम्रता से आप नहीं बोलते तो कोई भी आपके निकट आना पसन्द नहीं करेगा।

निर्भय होकर कार्य करें-आपको अपना व्यवसाय भयमुक्त होकर करना होगा। यदि हर समय इस बात के लिए भयभीत रहेंगे कि पता नहीं कार्य चलेगा या नहीं, तो आप उन्नति नहीं कर सकते।

उचित दाम-बहुत अधिक मुनाफा कमाने के बजाय कम मुनाफे पर अधिक उत्पादन करने का उसूल अपनाइए। व्यवसायिक सफलता की यह कुंजी है।

अच्छा दिखे-अच्छा उद्यमी अपने तैयारशुदा माल को खूबसूरत सजा-संवार कर अच्छी से अच्छी पैकिंग करके मार्किट में उतारता है। खरीदार पर पहला प्रभाव प्रोडक्ट के ऊपरी आवरण से ही पड़ता है।

गुणवत्ता-आपके उत्पाद की क्वालिटी श्रेष्ठ होनी चाहिए। कुछ लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में घटिया सामग्री लगाकर सस्ते में माल बेचते हैं। वे ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते। एक सीमा में बंध जाते हैं। अच्छी गुणवत्ता के उत्पादनों की हर जगह, हर समय पूछ रहती है।

परिवर्तनशीलता अपनाईए-आज का दौर परिवर्तनशीलता है। उत्पादन में प्रतियोगिता होने के कारण उद्यमी नये-नये परिवर्तन करके उसे आकर्षक बनोन के प्रयास में रहते हैं। आप स्वयं मूल्य और गुणवत्ता को ध्यान मे रखते हुए उत्पाद की परिवर्तनशीलता के लिए मार्किट को नजर में रखिए।

ईमानदारी-व्यावसायिक लेन-देन में ईमानदारी अपनाइए। यदि आप अपने उत्पाद और दूसरों के प्रति ईमानदार नहीं है तो बाजार में आपकी शाख गिर जाएगी, जिसे सम्भालना बाद में बहुत कठिन होता है।

निर्णय लेने की क्षमता-औद्योगिक कार्यों और उत्पादन में कदम-कदम पर निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। ये निर्णय सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सोच-समझकर निर्णय लें और एक बार जो निर्णय लें उसे स्थगित न करें।

समय की पाबन्दी-बाजार की मांग और पूर्ति को ध्यान मे रखकर उत्पादन तैयार करने में समय की पाबन्दी का ध्यान रखें। यदि अपने तैयार माल के लिए किसी को समय दे दिया और उसे समय पर

तैयार नहीं कर सके तो भी आपकी शाख गिरेगी। समय के बारे में अच्छी तरह सोच–समझकर दूसरों से वायदा करें।

प्रत्येक ग्राहक पर समुचित ध्यान दें–आपके ग्राहक ही आपकी सफलता की श्रेणी है। ग्राहक छोटा हो या बड़ा, एक को नजरअन्दाज करके दूसरे पर विशेष ध्यान देना समझदारी नहीं। सभी ग्राहकों पर समुचित ध्यान दें।

योजना बनाकर चलें–अपने कार्य–व्यापार को योजनाबद्ध रूप से पूरा करें। मशीनरी, आदमी, पूंजी को ध्यान में रखकर कार्य चलाएं। ऐसा न हो कि कार्य में अधिक पूंजी, अधिक श्रमिक और मशीनरी की आवश्यकता हो, समिति साधनों से आपने बड़ा कार्य शुरू कर दिया हो, जिसकी वजह से आगे चलकर कार्य ठप्प पड़ जाए।

कर्मचारियों के साथ सन्तुलन–अच्छा उद्यमी अपने कर्मचारियों के साथ सन्तुलन बनाकर चलता है।

उद्योग कैसे लगाएं?

उद्योग लगाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रखकर यदि उद्योग लगाया जाएगा तो सफलता की अधिक आशा की जा सकती है।

उत्पाद के लिए निश्चित हो लें–सर्वप्रथम आप इस बात के लिए निश्चित हो लें कि आपको उत्पाद क्या करना है। यह उद्यम प्रक्रिया का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है। आप जो भी छोटा या बड़ा उद्योग लगाने जा रहे हैं उसके बारे में आपका अनुभव कितना है। मार्किट में खपत का क्या स्कोप है। आप उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ संभाल सकते हैं या नहीं–इसका निर्णय पूर्ण विवेक से लें। भले ही ऐसा निर्णय लेने में आपको कुछ समय लग जाए। इस निर्णय पर ही आपका भविष्य निर्भर करता है। मार्किट का स्वयं मूल्यांकन करें, कही–सुनी बातों पर विश्वास न करें। अपनी कार्यशील पूंजी तथा साधन–संसाधनों पर अच्छी तरह विचार कर लें।

बाजार सर्वेक्षण–आप अपने उत्पादन के बाबत बाजार का सर्वेक्षण करके अच्छी तरह विचार करं कि जो माल आप तैयार करने जा रहे हैं उसकी बाजार में अच्छी मांग और खपत है या नहीं। लोगों की वह जरूरत है और आगे भी बराबर जरूरत बनी रहने वाली है या नहीं। इन बातों की संतोषजनक जानकारी मिल जाने के बाद आगे का कार्य करें।

पूंजी निवेश विचार–उत्पादन की निश्चितता, बाजार सर्वेक्षण के बाद आप अपनी पूंजी निवेश सम्बन्धित मसले पर विचार करें। स्माल स्केल इण्डस्ट्री या लघ ु उद्योग, घरेलू उद्योग शुरू करने के

लिए सबसे बेहतर बात तो यही है कि आपके पास जो अपनी पूंजी हो उससे ही उद्योग शुरू करें, ताकि आगे आपको आर्थिक तंगी का शिकार न होना पड़े।

यदि आप पढ़े-लिखे हैं और सरकार की स्वत: रोजगार योजना के अन्दर उद्योग लगाना चाहते हैं तो इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को सामने रखकर योजना बनाइए।

इसके अलावा भी बड़े उद्योग लगाए जाते हैं जिसमें पूंजी निवेश के कई स्वरूप होते हैं। एकाकी स्वामित्व, जिसमें कुल कारोबार की पूंजी के स्वामी आप स्वयं होते हैं। साझेदारी में किसी के साथ साझे में पूंजी लगाते हैं, इसके लिए शर्तें तय होती हैं, कम्पनी निजी कम्पनी, सार्वजनिक कम्पनी, सहकारिता जैसे भी स्वरूप होते हैं जिसमें शेयर बेचे जाते हैं। लेकिन यह बड़े उद्योगों के लिए होते हैं। लघु उद्योग के लिए अपनी पूंजी लगाकर या एकाध साझीदार बनाकर उनके बीच नियम-पूर्ति तय करके कारोबार किया जाता है।

उद्योग का नामकरण-पूंजी सम्बन्धित विषय पर विचार करके अपने उद्योग का नाम रखना और उसका पंजीकरण कराना महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बड़े-बड़े उद्योगों के नाम ही उनकी गुडविल होती है। नाम से ही उत्पादन मैदान में उतरता है और उसकी विश्वसनीयता पर लोग भरोसा करते हैं। नाम का रजिस्ट्रेशन कराना इसलिए जरूरी होता है ताकि आपका उद्योग जब चल निकले तो कोई उस जैसा या मिलता-जुलता नाम रखकर आपके उत्पादन को नुकसान न पहुंचा सके। नाम ऐसा होना चाहिए जो उद्योग अधिनियम द्वारा प्रतिबन्धित न हो। नाम छोटा हो, बोलने और सुनने में रूचिकर लगे। किसी वर्ग या समुदाय का प्रतिनिधित्व कर। नाम से उत्पादित वस्तु या उसके गुणों आदि का आभास हो जाए।

इस सम्बन्ध में असुविधा का निराकरण अपने नगर के जिला उद्योग केन्द्र से करा सकते हैं। छोटे उद्योगों, स्माल स्केल का रजिस्ट्रेशन भी जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से होता है।

स्थान चयन-आपने रजिस्ट्रेशन या नामकरण भी करा लिया, अब आप इस बात की परख करके निकलेंगे कि उस उद्योग को कहां लगाएं। स्थान निर्धारण ऐसी जगह होना चाहिए जहा कच्चा माल सरलता से उपलब्ध हो जाए, बाजार निकट हो, श्रमिक आसानी से मिल जाते हों, सरकारी सुविधाओं को आसानी से उपलबध कर सकते हों। यही वजह है कि एक ही किस्म के उत्पाद के लिए पूरे-पूरे बाजार होते हैं और उसी बाजार में उसी उत्पाद से सम्बन्धित अपना कार्य-व्यवसाय चलाना लोग पसन्द करते हैं।

प्रोजेक्ट रिर्पोट तैयार करना-आपको अपनी पूंजी लगानी है या सरकारी सहायता प्राप्त करके लगानी है, प्रोजेक्ट रिर्पोट तैयार करना आवश्यक है। प्रोजैक्ट रिर्पोट एक प्रकार से आय-व्यय का आईना होती है। इससे आपके सामने आपको उत्पाद के लाभ और उसमें लगने वाली पूंजी का सारा विवरण

साफ होकर सामाने आ जाता है। वित्तीय संस्थाएं भी आपका प्रोजेक्ट सामने रखकर उस पर ऋण या सहायता करने पर विचार करती हैं।

सरकारी औपचारिकता का निर्वहन-सरकार जहा आपको उद्योग लगाने और चलाने के लिए प्रोत्साहन देती है वहीं कुछ औपचारिकताएं भी हैं जिनका निर्वाह करना आवश्यक होता है। लघु उद्योग या घरेलू उद्योग छोटे स्तर पर आप कही भी शुरू कर सकते हैं, पर मशीनरी वगैरह लगाकर उत्पादन शुरू करना है तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आवासीय कालोनियों में न लगाएं। औद्योगिक इकाइयों के लिए इण्डस्ट्रियल एरिया होते हैं, वहीं लगाए जा सकते हैं। सरकारी तौर से उद्योग के आकार-प्रकार के हिसाब से कुछ नियम-शर्तें आपको इनसे अनुमतियां लेनी पड़ती हैं, उनकी शर्तों को पूरा करना पड़ता है। नियमों का सही पालन करके आप आने वाली ढेरों परेशानियों से बच जाते हैं। जिन राजकीय विभागों और कार्यालयों से अनुमतियां लेनी होती हैं वे इस प्रकार हैं-राज्य के उद्योग निदेशालय से, राज्य के बिक्री विभाग से, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, स्थानीय निकाय से, उत्पादन शुल्क विभाग से, यदि औषधि सम्बन्धित उद्योग है तो ड्रग कन्ट्रोलर से।

वित्तीय सहायता की प्राप्ति-वित्तीय व्यवस्था किसी भी उद्योग, कारोबार की रीढ़ की हड्डी होती है। वित्तीय संस्थान, बैंक आदि इस मामले में मदद करते हैं, इनकी जानकारी आगे के पृष्ठों में दी जा रही है।

भूमि-भवन व्यवस्था-उद्योग छोटा हो या बड़ा किसी न किसी भूमि-भवन में ही चलाया जाएगा। इसके लिए इन बिन्दुओं को ध्यान में रखें-छोटे उद्योग किराये के भवन में प्रारम्भ करें। विवादित और अवैध भूमि से दूर रहें। भवन-निर्माण की अनुमति सम्बन्धित विभाग या अधिकारी से प्राप्त कर लें। भवन में वायु, प्रकाश, अग्निरोधी व्यवस्था आदि पर्याप्त हो।

उपरोक्त व्यवस्था को करने के बाद मशीनें खरीदकर, श्रमिक (कुशल-अकुशल, अर्द्ध-कुशल) का प्रबन्ध कर अपना उत्पाद आप करोगे और बाजार को देखकर उसका विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। ध्यान रखें-स्वत: रोजगार योजना या अन्य योजना या तरीके से आपने जो वित्तीय सहायता प्राप्त की है उसका समय पर भुगतान करना सर्वदा आपके हित में है। ऐसा न करके आप परेशानियों में पड़ सकते हैं।

अध्याय-11

स्वयं सहायता समूह-बैंक संयोजन कार्यक्रम-गरीबों के लिए बैंकिग सुविधा

पृष्ठभूमि

ग्रामीण शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के बावजूद ग्रामीण गरीबों का एक बड़ा वर्ग, खासकर, छोटे किसान/सीमांत किसान, भूमि रहित श्रमिक, ग्रामीण कारीगर और महिलाएं अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए अभी भी साहूकारों जैसे गैर-संस्थागत वित्तीय स्त्रोतों पर निर्भर हैं। सामान्य ऋण संस्थाओं से ऋण उलपब्ध करने के सम्बन्ध में प्रलेखन की बोझिल प्रक्रिया, बढ़ते हुए अतिदेय, प्रतिभूति की अपेक्षाएं आदि को देखते हुए उनके लिए एक ऐसी नई ऋण वितरण प्रणाली को अपनाना पड़ा, जिसके द्वारा वे अपने सम्पूर्ण विकास के लए आसानी से ऋण प्राप्त कर सकें।

इसके सम्बन्ध में नाबार्ड में वर्ष 1992 में स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़ने की एक प्रयोगिक परियोजना की शुरूआत की थी। बैंकों और गैर सरकारी संगठनों के बीच सक्रिय सहयोग की जिस परिकल्पना की शुरूआत वर्ष 1992 में की गई थी उसने राष्ट्रीय कार्यक्रम और आन्दोलन का ले लिया है। भारत में स्वयं सहायता समूह-बैंक संयोजन कार्यक्रम लघु ऋण का एक अत्यंत सफल मॉडल साबित हुआ है।

इस आपसी सहयोग में जो भी लोग जुड़ हुए हैं जैसे बैंक, गैर सरकारी संगठन काम आय वाले व्यक्तियों तथा गैर सरकारी संगठनों को लाभ ही लाभ हुआ है। बैंक इस माध्यम का प्रयोग करके ऋण देने और जमाराशियों को जुटाने के लिए अपनी पहुंच को गरीबों के लिए एक बड़े वर्ग तक बढ़ा सकते हैं, खासतौर पर, महिलाओं तक, इसमें लेन-देन की लागत बहुत कम है और वसूली की दर 95: तक है जबकि अन्य योजनाओं में यह लगभग 70 प्रतिशत तक रहती है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप, सिडिकेट बैंक ने वर्ष 1992 में ही स्वयं सहायता समूह-बैंक संयोजन कार्यक्रम की शुरूआत की थी। बैंक स्वयं सहायता समूहों को गठित करके और उन्हें सीधे तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए बैंक ऋण से उनका संयोजन करने की दृष्टि से सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

स्वयं सहायता विचारधारा

बैंक के जो पारंपरिक जमा और ऋण उत्पाद हैं, प्रणालियां, प्रक्रियाएं और बैंकिंग नीतियां, प्रचलन मे हैं वे गरीबों की तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उनको एक ऐसी प्रणाली चाहिए जिसके द्वारा उन्हें छोटी रकम के ऋण आसानी से झंझट के बिना और कम लागत पर मिल जाएं। गरीबों को समान प्रकार के समूहों के रूप में इकट्ठा करने का सामान्यत: स्वयं सहायता समूह के रूप में जाना जाता है, और यह प्रक्रिया अत्यंत सफल ऋण वितरण मॉडल के रूप में साबित हुई है। इस परिकल्पना का उद्देश्य बचत की आदत डालना और बचत की गई तथा उधार ली गई निधियों का बंटवारा समूहों के बीच उधार देते हुए किया जाना है। इस वितरण प्रणाली से बैंक स्तर पर और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच उधार देते हुए किया जाना है। इस वितरण प्रणाली से बैंक स्तर पर और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच लेन-देन की लागतों में कटौती करने में भरपूर मदद मिली है। इससे वित्तीय संस्थाओं की अपनी पहुंच बढ़ाने की महत्वपूर्ण चिंता दूर हुई है और सुधारित ऋण प्रणाली के माध्यम से बड़ी संख्या में गरीबों को लाभ मिला है।

स्वयं सहायता समूह क्या है?

वह ग्रामीण गरीबों का एक छोटा, समान प्रकार के लोगों का एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें 20 सदस्य होते हैं। इस समूह को स्वैच्छिक रूप से बचत करने के उद्देश्य से गठित किया जाता है और समूह के निर्णय के अनुसार अपने सदस्यों को आगे उधार देने के लिए सामान्य निधि में पारस्परिक रूप से अंश करने के लिए वे सहमत होते हैं। समूह को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। समूहों की विशष्टिताएं और जिन पर मुख्य रूप से उन्हें अपना ध्यान केन्द्रित करना है, वे निम्नलिखित हैं:

- अनौपचारिक हैसियत और सहभागिता की भावना को बनाये रखना।
- आपातकाल के उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और वित्तीय अनुशासन को सीखना।
- उधार प्रक्रिया का आंतरिकीकरण करना और अंतत: बैंक ऋण प्राप्त करना।
- लोकतांत्रिक और पारदर्शी ढंग से समूहों को संचालित करना।

स्वयं सहायता समूहों का कामकाज और उसकी विशेषताएं

1. सदस्यता:

   सामाजिक, आर्थिक, कार्य, लिंग, निवास स्थान आदि के हिसाब से सजातीय सदस्य होने चाहिए। एक परिवार से एक ही व्यक्ति सदस्य बन सकता है।

2. नेता/प्रतिनिधि:

स्वयं सहायता समूह को चाहिए कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार एक नेता और अन्य प्रतिनिधियों का चयन करे, जो बैठकें आयोजित करने, खाता बहियों का रख-रखाव करने, नकद प्रबंधन, बैंकिंग लेन-देन करने आदि के लिए जिम्मेदार होगा। नेतृत्व का आवर्तन आवधिक रूप से किया जाए।

3. बैठकें:

- समूह को चाहिए कि वह नियमित अंतरालों पर अर्थात् हफ्ते में या कम से कम महीने में एक बार बैठक अवश्य आयोजित करे। बैठक का दिन/तारीख, समय को निर्धारित करके उससे सदस्यों को अग्रिम रूप से सूचित कर दिया जाए।
- बैठक का स्थान गांव का कोई सामान्य स्थान हो सकता है जहां पर सब लोग पहुंच सकें या फिर एक के बाद दूसरे सदस्यों के घरों में भी आयोजित किया जा सकता है।
- बैठक में उपस्थिति अनिवार्य है।
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाना।
- समूह बैठकों में ही सभी निर्णय लिए जाने चाहिएं और उन्हें कार्यवृत के रजिस्टर में ठीक तरह से नोट किया जाए।

4. रजिस्टरों/बहियों का रखरखाव:

- समूह द्वारा जिन रजिस्टरों, बहियों को बनाकर रखना है, वे हैं:- कार्यवृत्त रजिस्टर, बचत और ऋण रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, जिसमें सदस्यों के ब्यौरे हों, सदस्यों का पासबुक और बैंक पासबुक।
- बहियों/रजिस्टरों को समूह का कोई शिक्षित सदस्य लिख सकता है या बाहर से किसी की मदद लेके या गैर सरकारी संगठन के स्वयं सेवक की सहायता से भी उन्हें लिखा जा सकता है।

5. बचत/मितव्ययिता:

- समूह में लिये गये निर्णय के अनुसार सदस्यों को नियमित रूप से बचत करनी होगी। स्वयं सहायता समूह की बैठक के दौरान बचत की रकम वसूल की जाए।
- 'बचत पहले-ऋण बाद में' यह स्वयं सहायता समूह के हर एक सदस्य का आदर्श वाक्य होना चाहिए।
- 'आय-(घटाव) बचत=खर्च' की संकल्पना का खूब प्रचार-प्रसार किया जाए।

6. आंतरक उधार:

- स्वयं सहायता समूह को चाहिए कि वह बचत की रकम का उपयोग अपने सदस्यों को ऋण देने के लिए करें।
- समूह द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से ऋण के उद्देश्य, रकम, ब्याज दर चुकौती आदि का निर्धारण किया जाए।
- स्वयं सहायता समूह को चाहिए कि वह उचित रिकार्ड/लेखा को बनाए रखें।

7. नियम एवं विनियम:

- सदस्यों के बीच अनुशासन और एकता को बनाये रखने के लिए समूह कुछ नियम बनाएं और उनका अनुपालन करें तथा समूह की एकता को बनाए रखें।

8. ऋण+क्रियाकलाप

- सामाजिक बुराईयों को दूर करने की दृष्टि से स्वयं सहायता समूह शिक्षा अभियान, स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों आदि का आयोजन कर सकते हैं और आस-पड़ोस में लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से निवास कर सकें, इसमें भी अपना योगदान कर सकते हैं।

स्वयं सहायता समूह-बैंक संयोजन

स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के संयोजित करने के लिए निम्नलिखित तीन मॉडल बनाए गए है:

मॉडल-I

बैंक द्वारा व्यक्तियों या सरकारी एजेंसियों द्वारा संगठित स्वयं सहायता समूहों को सीधे ऋण प्रदान करता है।

मॉडल-II

बैंक उन स्वयं सहायता समूहों को सीधे ऋण प्रदान करता है, जहां गैर-सरकारी संगठन स्वयं सहायता समूहों को गठित करने, विकसित करने और प्रशिक्षण देने में सहूलियतकार के रूप में अपना योगदान दे रहा है।

मॉडल-III

इस मॉडल में बैंक गैर सरकारी संगठन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को बैंक वित्त प्रदान करता है (यहां गैर सरकारी संगठन वित्तीय विचौलिया के रूप में कार्य करता है)। इस मॉडल के

अन्तर्गत बैंक गैर सरकारी संगठनों/समएफसी को बड़ी मात्रा में ऋण देते हैं ताकि वे स्वयं सहायता संघ को आगे वित्तपोषित कर सकें।

बैंक संयोजन के लिए मानदण्ड

1. स्वयं सहायता समूह का बचत बैंक खता खोला जाना

   समूह से निम्नलिखित प्रलेखों को प्राप्त करने के बाद उसके नाम से बचत बैंक खाता खोला जाता है:

   - संकल्प जिसे स्वयं सहायता समूह से प्राप्त किया जाना है।
   - आपसी करार, जिसका निष्पादन स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों द्वारा किया जाना है।
   - खाते को कम से कम 2 या 3 सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित करने के लिए प्राधिकरण पत्र जिसकी मंजूरी संकल्प पारित करते हुए दी गई हो। इसके साथ विधिवत भरा गया आवेदन पत्र और प्राधिकृत व्यक्तियों का फोटो लगाना होगा। समूह के प्रर्वतक द्वारा बैंक को समूह का समुचित रूप से परिचय कराना होगा।

2. उधार देने के उद्देश्य के लिए समूह का मूल्यांकन

   - कम से कम छह महीने की अवधि के लिए समूह को सक्रिय रूप में अस्तित्व में रहना है।
   - समूह ने अपने स्वयं के स्त्रोतों से सफलतापूर्वक रूप से बचत और लेन-देन किया हो।
   - समूह ने उचित रूप से खातों/रिकार्डों को बनाये रखा है।
   - समूह में एक दूसरे की सहायता करने और मिलजुकर काम करने की भावना व्याप्त हो।
   - समूह ने बैंक द्वारा निर्धारित श्रेणी निर्धारण चार्ट के अनुसार 'ए' या 'बी' श्रेणी प्राप्त की हो।
   - यदि स्वयं सहायता समूह के कुछ सदस्य और/या उनके परिवार के सदस्य वित्तपोषणकर्ता, शाखा के बाकीदार हैं तो, उनकी द्वारा की गई चूक से स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषण करने की दिशा में कोई रूकावट न आये।

3. ऋण का उद्देश्य

   - जिस उद्देश्य के लिए समूह अपने सदस्यों को उधार देता है, उसका आधार समूह का स्व विवेक है। तथापित, समूह के हरेक सदस्य को चाहिए कि वह इस प्रकार से एक छोटी सी ऋण योजना तैयार करे कि उसने जो कार्यकलाप चुने हैं, वह उसकी कुशलता और क्षमता

के अनुरूप हैं ताकि उसके परिवार को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। सभी सदस्यों की ऋण योजना का कुल योग समूह के लिए माइक्रो ऋण योजना बन जाता है।

4. ऋण की प्रमात्रा

स्वयं सहायता समूहों को ऋण की मंजूरी ऊपरलिखित मूल्यांकन मानदण्ड़ों को संतोषप्रद ढंग से पूरा करते हुए और निम्नलिखित मानदण्ड़ों के आधार पर की जाती है:

- शुरू में केवल उन स्वयं सहायता समूहों को उनकी बचतों के 4 गुणा तक की रकम के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा, जिनका श्रेणी निर्धारण 'ए' या 'बी' के यप् में किया गया है।
- उसी समूह को दूसरी बार वित्तपोषण करते समय बचत और ऋण अनुपात में 1:10 तक छूट दी जाती है, बशर्ते समूह संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा हो।
- उसी समूह को तीसरी बार या उसके बाद ऋण प्रदान करने के लिए, शाखा के कार्यकलापों का पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद और समूह की गुणवत्ता के संबंध में और माइक्रो ऋण योजना (एमसीपी) के कार्यान्वयन में उसकी ईमानदारी पर संतुष्ट होने की स्थिति में बचत और ऋण अनुपात को 1:20 तक कर सकती है। लेकिन, इस तरह का वित्तपोषण चुने हुए कुछ बहुत अच्छे समूहों को ही किया जाता है, जिनका श्रेणी निर्धारण 'ए' के रूप में किया गया है।

5. मार्जिन/स्वयं का अंशदान

- रू. 3.00 लाख तक - कुछ नहीं
- रू. 3.00 लाख से अधिक - परियोजना लागत का 5-10 प्रतिशत

6. ब्याज दर समय-समय पर बैंक की नितियों के अुनसार परिर्वतित होती रहती है।

7. ऋण का संवितरण

- ऋण रकम को स्वयं सहायता समूह के बचत बैंक खाते में जमा किया जाता है, वहां से प्राधिकृत प्रतिनिधि अपनी जरूरतों के मुताबिक संयुक्त रूप्से रकम आहरित कर सकते हैं।

8. चुकौती अनुसूची

- ऋण को अल्पावधि या मीयादी ऋण या ओवरड्राफ्ट के यप् में प्रदान किया जाता है। यदि ऋण को ओवरड्राफ्ट के यप् में दिया जाता है तो, सीमा की समीक्षा ओर नीकरण हर साल किया जाना चाहिए।

9. प्रतिभूति मानदण्ड

- रू. 5.00 लाख तक: समूह गारंटी द्वारा या ऋण रकम से खरीदी गई आस्तियों द्वारा प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ऋण को रक्षित किया जाना है।
- रू. 5.00 लाख से अधिक: ऊपर बताये गये अनुसार प्राथमिकी प्रतिभूति के अलावा, पर्याप्त मूल्य की अन्य संपार्श्विक प्रतिभूति को लिया जाता है, जो बीमा पॉलिसी, अन्य विक्रेय प्रतिभूति, अन्य संपत्ति के बंधक के रूप में हो सकता है।

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना
एक नज़र में

❖ **आरम्भ**

- 01-04-1999 से आरम्भ ग्रामीण निर्धनों के लिए स्वरोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम।

❖ **उद्देश्य :**

- ग्रामीण निर्धनों को समयबद्ध तरीके से गरीबी रेखा से ऊपर लाना।

❖ **कार्यविधि व विशेषताएं**

- ग्रामीण निर्धनों की क्षमता का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी सख्या में छोटे-2 उद्यम स्थापित करना।
- लाभार्थी 'स्वरोजगारी' कहलाएगा।
- समूह दृष्टिकोण पर बल।
- छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना हेतू मुख्य क्रियाक्लापों व काम-धन्धों (Key Activities) का चयन व उनके संकुल (क्लस्टर) की स्थापना पर बल।
- मुख्य गतिविधियों (काम-धन्धों) हेतू परियोजना दृष्टिकोण (Project Approach) पर बल।
- बुनियादी सुविधाओं हेतू वार्षिक आवंटन का 20% तक प्रावधान।
- समूह के सुदृढ़ीकरण हेतू चक्रीय निधि (Revolving Fund)का प्रावधान।
- ऋण-सह-अनुदान कार्यक्रम ऋण महत्वपूर्ण एवं मुख्य घटक तथा अनुदान केवल पूरक घटक।
- बहु-ऋण व्यवस्था।
- स्वरोजगारियों के लिए समुचित प्रशिक्षण व्यवस्था।

प्रशिक्षण

❖ प्रत्येक स्वरोजगारी पर 5000 रू. तक खर्च का प्रावधान है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- आधारिक उन्मुखीकरण/अभिज्ञान (Basic Orientation)
- समूह गठन प्रक्रिया हेतू क्षमता-निर्माण (Capacity Building)
- कौशल विकास एवं संवर्धन (Skill-Upgradation)
- प्रोद्यौगिकी सहायता (Technological Support)
- विपणन (बाजार-व्यवस्था) सहायता।
- विपणन-सर्वेक्षण (Market Survey), मूल्य संवर्धन (Value Addition), एवं उत्पादन विविधिकरण (Product Diversification) हेतू प्रावधान।

- बैंकों, तकनीकी संस्थाओं तथा लाईन विभागों की महत्त्वपूर्ण भूमिका।
- गैर–सरकारी संगठनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका।
- पंचायती राज संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका।

अनुदान

- समान दर पर परियोजना लागत का 30%, जो अधिकतम 7500 रू. होगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांगों के लिए परियोजना लागत का 50% जो अधिकतम 10000 रू. होगा।
- समूह हेतू परियोजना लागत का 50% या 1.25 लाख रू. या प्रतिव्यक्ति 10000 रू., जो भी कम हो।
- सिंचाई परियोजना के लिए कोई मौद्रिक सीमा नहीं।
- दुरूपयोग रोकने के लिए अनुदान का ऋण के समक्ष समायोजन अपनाई गई समूह/व्यक्तिगत गतिविधियों के सफल होने के पश्चात (Back-Ended Subsidy)
- विशेष परियोजनाओं के लिए 15% राशि का केन्द्र स्तर पर आवंटन।
- केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 75 : 25 अनुपात में वित्तपोषित।

कार्य-कौशल विकास प्रशिक्षण

प्रमुख विशेषताएं

- यह प्रशिक्षण उन स्वरोजगारियों को दिया जाता है जिनको अतिरिक्त प्रशिक्षण देने की जरूरत है अथवा जिनके वर्तमान कार्यकौशल स्तर में विकास करना जरूरी है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वरोजगारियों के पास न्यूनतम तकनीकी कौशल है।
- प्रशिक्षण में नए उपकरणों, प्रौद्योगिकी, मूल्य-संवर्द्धन (वैल्यू-एडीशन) तथा गतिविधि के विविधीकरण, उद्यमिता-विकास, विपणन प्रबंधन, पैकेजिंग, लेबलिंग आदि प्रक्रियाओं, की जानकारी देकर प्रशिक्षणार्थी को कार्य कुशल व सक्षम बनाना है।
- कौशल-विकास प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही ऋण का भुगतान करना है।
- एक सप्ताह से अधिक की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए बैंक आसान शर्तों पर 'साफ्ट लोन' के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- विभिन्न कार्यक्लापों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की अवधि का निर्धारण राज्य सरकार करेगी ताकि सभी जिलों में कार्य में समानता रहें।
- बेसिक ओरियन्टेशन कार्यक्रम और कार्य-कौशल विकास प्रशिक्षण पर कुल खर्च 5000/- रू. प्रति प्रशिक्षणार्थी से अधिक नही होना चाहिए। इसमें बोर्डिंग एवं लॉजिंग, निवास स्थान से प्रशिक्षण संस्थान तक आने-जाने का यातायात खर्च, मुख्य कारीगर/व्यवसायिक विशेषज्ञ/स्रोत-व्यक्ति/ प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित कच्चा माल व अध्ययन-सामग्री/ प्रशिक्षणार्थियों हेतु मैन्युअल, सस्थागत प्रबंधन (यदि कोई हो), आदि, का खर्च शामिल हैं। प्रशिक्षण खर्च यदि 5000/- रू. प्रति प्रशिक्षणार्थी से अधिक आता है तो उसे बैंक द्वारा स्वरोजगारियो को दिए गए सुलभ ऋण से खर्च करके पूरा किया जा सकता हैं।

लाइन विभागों के सहयोग की रूप रेखा

क्र.	विभाग का नाम	संबंधित कार्य	संभावित सेवा
1.	कृषि	फसल उत्पादन और सुरक्षा	प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं को पूरा करना, बीज, खाद, फसल सुरक्षा, रसायन खेत उपकरणों आदि, की आपूर्ति (सप्लाई), कृषि प्रबंधन का प्रशिक्षण
2.	पशुपालन	डेरी, मुर्गीपालन, बकरी, भेड़ आदि का पालन	बीमे के लिए प्रमाणीकरण, कृत्रिम गर्भाधान, पशु चिकित्सा सेवा, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रशिक्षण, डेरियों के सहयोग से बाजार निर्माण में सहायता
3.	रेशम उत्पादन	ककून तथा रेशम का उत्पादन	मलबेरी पौधा-सामग्री की सप्लाई व रेशमी कीड़ा, ग्रीनेज प्रौद्योगिकी को उत्पादकों तक पहुंचाना, प्रशिक्षण तथा परिचयात्मक दौरे
4.	उद्यानिकी (हॉरटिकलचर)	फल, सब्जी और पुष्प-उत्पादन	प्रौद्योगिकी को उत्पादकों तक पहुंचाना, पौधा सुरक्षा, नई किस्म के बीजों की सप्लाई, ड्रिप व छिड़काव सिंचाई के लिए विस्तार सेवाएं, वैज्ञानिक कृषि प्रबन्धन का प्रशिक्षण एवं फसल के बाद की संरक्षण व मूल्य-संवर्द्धन क्रिया में योगदान
5.	जिला उद्योग केन्द्र	छोटे उद्योगों का प्रसार	विकास सम्भावनाओं का सर्वेक्षण, उद्यमशीलता-विकास कार्यक्रमों का आयोजन, प्रौद्योगिकी (टेकनोलोजी) विकास के लिए प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, बाजार की सम्भावनाओं की पहचान
6.	खादी व ग्रामोद्योग	खादी व ग्राम तथा कुटीर उद्योग	वित्तीय, तकनीकी तथा बाजार (विपणन) सहायता